पी. एण्ड एस. बैंक

राजभाषा अंकुर

सितंबर 2025

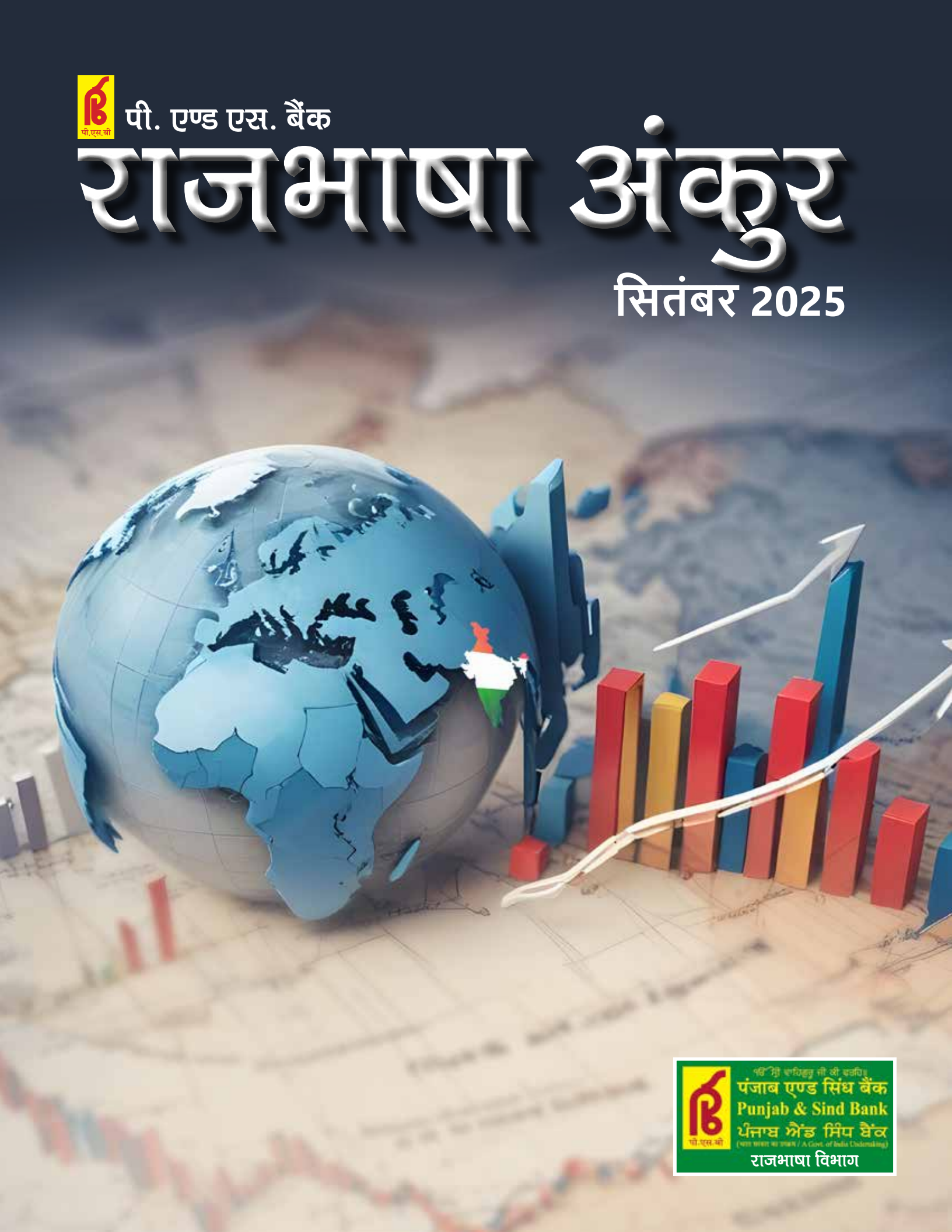

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
Punjab & Sind Bank
ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ
राजभाषा विभाग

स्वतंत्रता दिवस समारोह

बैंक के रोहिणी, दिल्ली स्थित स्टाफ प्रशिक्षण केंद्र में अत्यंत गर्व के साथ स्वतंत्रता दिवस समारोह-2025 मनाया गया। कार्यक्रम में बैंक के माननीय प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री स्वरूप कुमार साह जी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया तथा उपस्थित अधिकारियों को संबोधित किया। इस अवसर पर बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री रवि मेहरा और श्री राजीवा तथा अन्य उच्चाधिकारी विशेष रूप से उपस्थित रहे। समारोह में बैंक कार्मिकों तथा पेशेवर कलाकारों द्वारा मनमोहक प्रस्तुति दी गई।

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

प्रधान कार्यालय राजभाषा विभाग की हिंदी पत्रिका

राजभाषा अंकुर

(केवल आंतरिक वितरण हेतु)

बैंक हाउस, प्रथम तल, 21, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली – 110008

सितंबर 2025

मुख्य संरक्षक

श्री स्वरूप कुमार साहा
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

संरक्षक

श्री रवि मेहरा
कार्यपालक निदेशक

श्री राजीवा
कार्यपालक निदेशक

मुख्य संपादक

श्री गजराज देवी सिंह ठाकुर
महाप्रबंधक सह मुख्य राजभाषा अधिकारी

संपादक व प्रकाशक

श्री निखिल शर्मा
मुख्य प्रबंधक (राजभाषा)

संपादक समिति

श्री देवेन्द्र कुमार, वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा)
श्री बिभाष कुमार, वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा)
श्रीमती भारती, प्रबंधक (राजभाषा)

ई-मेल : ho.rajbhasha@psb.bank.in
पंजीकरण संख्या : एफ.2 (25) प्रैस.91

'राजभाषा अंकुर' में प्रकाशित सामग्री में दिए गए विचार, संबंधित लेखकों के अपने हैं। पंजाब एण्ड सिंध बैंक का प्रकाशित विचारों से सहमत होना जरूरी नहीं है। सामग्री की मौलिकता एवं कॉपीराइट अधिकारों के प्रति भी लेखक स्वयं उत्तरदायी हैं।

मुद्रक : जैना ऑफसेट प्रिंटर्स
ए 33/2, साइट-4, साहिबाबाद इंडस्ट्रीयल एरिया
गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश
मोबाइल - 98112-69844

विषय सूची

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1.	संपादक मंडल/विषय-सूची	1
2.	आपकी कलम से	2
3.	संपादकीय	3
4.	माननीय गृह मंत्री जी का संदेश	4-5
5.	सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग जी का संदेश	6
6.	अमेरिकी टैरिफ का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव	7-10
7.	प्रतिस्पर्धा	11
8.	संसदीय राजभाषा समिति का गांधीनगर दौरा	12-13
9.	ऑफ-साइट मॉनिटरिंग यूनिट	14-17
10.	हिंदी कार्यशाला	18-19
11.	आ अब लौट चलें	20-21
12.	आचंलिक कार्यालयों में हिंदी पखवाड़ा-2025	22-23
13.	वृद्धावस्था	24-27
14.	संसदीय राजभाषा समिति का दिल्ली दौरा	28-29
15.	काव्य-मंजूषा	30-31
16.	बैंक में ग्राहक सेवा प्रतिनिधि की भूमिका	32-35
17.	मूल तमिल लेख और उसका हिंदी अनुवाद	36-40
18.	राजभाषा उपलब्धियां	41
19.	भावी बैंकिंग की चुनौतियां	42-44

आपकी कलम से

आपके कुशल निर्देशन व मार्गदर्शन में प्रकाशित की जा रही बैंक पत्रिका 'राजभाषा अंकुर' का नवीनतम अंक प्राप्त हुआ। सर्वप्रथम पत्रिका के सफल प्रकाशन हेतु हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं स्वीकार करें।

पत्रिका के कलेवर को रोचक, सारगर्भित, प्रेरक और उपयोगी बनाने के प्रति सार्थक सोच दर्शाता है जो पत्रिका के इस अंक में दिखाई दे रही है। बैंक पत्रिका में बैंक नराकास द्वारा संचालित गतिविधियों व बैंक की उपलब्धियों को भी छायाचित्र के माध्यम से बखूबी दर्शाया है। साथ ही विभिन्न विषयों के संदर्भ में भी मेरे बैंक साथियों ने अपने लेख द्वारा जानकारी दी है, वह बहुत रुचिकर व ज्ञानवर्धक है। संक्षेपत : हिंदी के प्रति सम्मान व प्रचार- प्रसार तथा इसके उन्मुक्त प्रयोग में इस पत्रिका का योगदान काफी सराहनीय है। इस प्रकार के समसामयिक प्रकाशन के लिए राजभाषा विभाग के संपादक-मंडल को हार्दिक बधाई एवं आगामी अंकों के प्रकाशन हेतु अनंत शुभकामनाएं!

-शिव कुमार गुप्ता
सेवानिवृत्त वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा)

पंजाब एण्ड सिंध बैंक की हिंदी तिमाही पत्रिका 'राजभाषा अंकुर' का नवीनतम अंक प्राप्त हुआ, जिसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद! समस्त लेखकों ने जिस तरह जटिल से जटिल विषय को काफी सहज एवं सरलतापूर्वक सबके समक्ष प्रस्तुत किया है, वह गागर में सागर भरने के समान है। अंकुर की विशिष्ट शैली, विषयों के प्रति पृथक दृष्टि, अत्यंत महत्व के साथ उभर कर आया है। हमारी विचार शक्ति ही हमें बनाती या बिगाड़ती है। चेतना, जड़ की अपेक्षा सूक्ष्म है इसलिए अधिक शक्तिमान है। यदि हमने हर स्थिति में मुस्कराने की आदत बना ली, नकारात्मकता को नकार कर अच्छाइयां तलाशने का स्वभाव बना लिया तो सचमुच हमें कोई अपने पथ से पृथक नहीं कर सकता।

पत्रिका में निहित विचार, अनुभव और लेखन शैली यह दर्शाती है कि बैंक कर्मी केवल संख्याओं के संरक्षक नहीं, बल्कि संवेदनाओं के वाहक भी हैं। संपादक मंडल का परिश्रम और लेखकों की प्रतिभा का सुसंगठित प्रयास इस पत्रिका को विशेष बनाता है।

-पवन कुमार भाटिया
आंचलिक प्रबंधक दिल्ली-2

सहर्ष अवगत हो कि प्रधान कार्यालय राजभाषा विभाग द्वारा प्रकाशित हिंदी पत्रिका 'राजभाषा अंकुर' का जून-2025 अंक प्राप्त हुआ। पत्रिका में प्रकाशित सामग्री हमेशा की तरह आकर्षक एवं प्रेरणादायक है। पत्रिका में ग़ज़ल, ग्रामीण परिवेश, श्री गुरु अर्जुन देव जी का जीवन एवं उपदेश, ज़िबली कला जैसे सम-सामयिक विषय पर बहुत ही सुंदर रचनाएं प्रस्तुत की गई हैं।

विषयों के समावेश के साथ-साथ रूपरेखा, शैली और व्यवस्थापन पत्रिका को जीवंत और आकर्षक बनाता है। पत्रिका में बैंक स्थापना दिवस तथा राजभाषा पुरस्कार संबंधी चित्रों का सुंदर संकलन किया गया है। आशा है पत्रिका का आगामी अंक भी शीघ्र ही प्राप्त होगा। सफल प्रकाशन हेतु पत्रिका के संपादक मंडल को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।

-मलकीत सिंह
आंचलिक प्रबंधक लुधियाना

बैंक की तिमाही पत्रिका 'राजभाषा अंकुर' का जून 2025 अंक प्राप्त हुआ। पत्रिका का यह अंक ज्ञानवर्धक होने के साथ-साथ रोचक भी है। इस अंक में लेख 'राजभाषा हिंदी और बोलियां' ज्ञानवर्धक और रोचक है। इसके साथ-साथ लेख 'संथाल हुल के शहीदों की शौर्य गाथा' सराहनीय है। पत्रिका में बैंक की गतिविधियों का सुंदर सचित्र वर्णन किया गया है। पत्रिका के सफल प्रकाशन के लिए संपूर्ण संपादक मंडल को बधाई व शुभकामनाएं!

- लालरेमथांग हमार
आंचलिक प्रबंधक देहरादून

संपादकीय

प्रिय पाठकगण,

पत्रिका का सितंबर- 2025 अंक, बैंक गतिविधियों को समाहित किए आपके सम्मुख प्रस्तुत है। बैंक के प्रधान कार्यालय तथा आंचलिक कार्यालयों में हिंदी पखवाड़ा-2025 अत्यंत उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवधि के दौरान आयोजित विभिन्न गतिविधियों में कार्मिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। केंद्रीय सरकार भी अपने स्तर पर हिंदी दिवस के आयोजन के साथ-साथ अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन निरंतर कर रही है। हाल ही में माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी की अध्यक्षता में पाँचवें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन गांधीनगर, गुजरात में किया गया। भाषाई गौरव का यह पर्व अपने आप में अनूठा है। किसी भी संप्रभु राष्ट्र के लिए भाषा अनिवार्य शर्त है। राजभाषा हिंदी, भारत के बाहर देश का प्रतिनिधित्व करने के साथ-साथ विभिन्न प्रांतीय भाषाओं का भी प्रतिनिधित्व करती है। हाल ही में देश ने अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में राजभाषा हिंदी ने संचार वाहक के रूप में अपने दायित्व का बखूबी निर्वहन किया। यह सही है कि संविधान निर्माताओं ने स्वतंत्रता के पश्चात हिंदी को राजभाषा का दर्जा देकर उसका मान बढ़ाया लेकिन इससे कदापि इनकार नहीं किया जा सकता कि परतंत्र भारत में हिंदी ही एक ऐसी भाषा रही है जिससे भारतवर्ष का प्रत्येक कोना थोड़ा-बहुत परिचित था।

भारतेंदु हरिश्चन्द्र, बंकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर, माखन लाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान और हिंदी साहित्य के अनेक लेखकों ने अपनी कलम से राष्ट्रीय चिंतन की धार को तीक्ष्ण किया तथा लोगों में आत्म-स्वाभिमान की चेतना जागृत की। स्वाधीनता आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने वाले महान विभूतियों ने चाहे वे भारत के किसी भी प्रदेश से रहे हों, राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी भाषा को ही अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया, देश के विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रभाषा प्रचार समिति का गठन किया गया। बहुभाषी देश में यदि अखिल भारतीय स्तर पर भाषाई संचार का अभाव हो तो किसी भी आंदोलन का स्वरूप केवल क्षेत्रीय बनकर ही रह जाएगा। विषम भौगोलिक परिस्थिति और बहुभाषी होने के कारण अखिल भारतीय स्तर पर किसी एक भाषा का सिरमौर रहना आवश्यक था। स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने का सर्वोत्तम मार्ग यही होगा कि उनके द्वारा स्थापित आदर्शों का अनुसरण किया जाए।

वर्तमान में राजभाषा हिंदी, वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक लोगों द्वारा बोले जाने वाली शीर्षस्थ भाषाओं में शामिल है। शासकीय सेवाओं में राजभाषा हिंदी के प्रयोग पर बल देने का दायित्व शासकीय कर्मचारियों का है। केवल सेवा प्रदान करना ही हमारा उत्तरदायित्व नहीं है वरन सेवा में गुणवत्ता और स्वभाषा का समावेश भी अपरिहार्य है। राजभाषा नीति का आधार सद्भावना, प्रेरणा और प्रोत्साहन है किंतु संबंधित अनुदेशों का अनुपालन उसी प्रकार दृढ़तापूर्वक किया जाना चाहिए जिस प्रकार अन्य शासकीय अनुदेशों का किया जाता है। आपसे अनुरोध है कि पत्रिका के विषय में अपने विचार हमें अवश्य भेजें। आपके स्नेहपूर्ण विचारों व लेखों की प्रतीक्षा रहेगी।

जय हिंद, जय राजभाषा!

(गजराज देवी सिंह ठाकुर)
महाप्रबंधक सह मुख्य राजभाषा अधिकारी

अमित शाह
गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री
भारत सरकार

सत्यमेव जयते

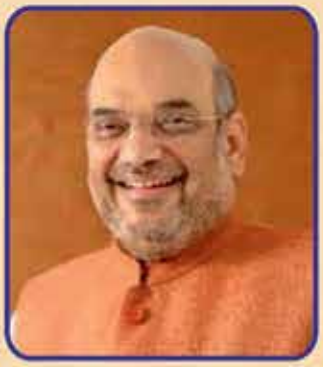

प्रिय देशवासियो !

आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ।

भारत मूलतः भाषा–प्रधान देश है। हमारी भाषाएँ सदियों से संस्कृति, इतिहास, परंपराओं, ज्ञान–विज्ञान, दर्शन और अध्यात्म को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने का सशक्त माध्यम रही हैं। हिमालय की ऊँचाइयों से लेकर दक्षिण के विशाल समुद्र तटों तक, मरुभूमि से लेकर बीहड़ जंगलों और गाँव की चौपालों तक, भाषाओं ने हर परिस्थिति में मनुष्य को संवाद और अभिव्यक्ति के माध्यम से संगठित रहने और एकजुट होकर आगे बढ़ने का मार्ग दिखाया है।

मिलकर चलो, मिलकर सोचो और मिलकर बोलो, यही हमारी भाषाई और सांस्कृतिक चेतना का मूल मंत्र रहा है।

भारत की भाषाओं की सबसे बड़ी विशेषता यही रही है कि उन्होंने हर वर्ग और समुदाय को अभिव्यक्ति का अवसर दिया। पूर्वोत्तर में बीहू का गान, तमिलनाडु में ओवियालू की आवाज, पंजाब में लोहड़ी के गीत, बिहार में विद्यापति की पदावली, बंगाल में बाउल संत के भजन, आदिम समाज में ढोल–मांदर की थाप पर करमा की गूँज, माताओं की लोरियाँ, किसानों का बारहमासा, कजरी गीत, भिखारी ठाकुर की 'बिदेशिया', इन सबने हमारी संस्कृति को जीवन्त और लोककल्याणकारी बनाया है।

मेरा स्पष्ट मानना है कि भारतीय भाषाएँ एक दूसरे की सहचर बनकर, एकता के सूत्र में बंधकर आगे बढ़ रही हैं। संत तिरुवल्लुवर को जितनी भावुकता से दक्षिण में गाया जाता है, उतनी ही रुचि से उत्तर में भी पढ़ा जाता है। कृष्णदेवराय जितने लोकप्रिय दक्षिण में हुए, उतने ही उत्तर में भी। सुब्रमण्यम भारती की राष्ट्रप्रेम से ओत–प्रोत रचनाएँ हर क्षेत्र के युवाओं में राष्ट्रप्रेम को प्रबल बनाती हैं। गोस्वामी तुलसीदास को हर एक देशवासी पूजता है, संत कबीर के दोहे तमिल, कन्नड़ और मलयालम अनुवादों में पाए जाते रहे हैं। सूरदास की पदावली दक्षिण भारत के मंदिरों और संगीत परंपरा में आज भी प्रचलित है। श्रीमंत शंकरदेव, महापुरुष माधवदेव को हर एक वैष्णव जानता है। और, भूपेन हजारिका को हरियाणा का युवा भी गुनगुनाता है।

गुलामी के कठिन दौर में भी भारतीय भाषाएँ प्रतिरोध की आवाज बनीं और आज़ादी के आंदोलन को राष्ट्रव्यापी बनाने में भूमिका निभाई। हमारे स्वाधीनता सेनानियों ने जनपदों की भाषाओं में, गाँव–देहात की भाषा में लोगों को आज़ादी के आंदोलन से जोड़ा। हिंदी के साथ ही सभी भारतीय भाषाओं के कवियों, साहित्यकारों और नाटककारों ने लोकभाषाओं, लोककथाओं, लोकगीतों और लोकनाटकों के माध्यम से हर आयु, वर्ग और समाज के भीतर स्वाधीनता के संकल्प को प्रबल बनाया। वन्दे मातरम् और जय हिंद जैसे नारे हमारी भाषाई चेतना से ही उपजे और स्वतंत्र भारत के स्वाभिमान के प्रतीक बने।

जब देश आजाद हुआ, तब हमारे संविधान निर्माताओं ने भाषाओं की क्षमता और महत्ता को देखते हुए

इस पर विस्तार से विचार–विमर्श किया और 14 सितम्बर 1949 को देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को राजभाषा के रूप में अंगीकृत किया। संविधान के अनुच्छेद 351 में यह दायित्व सौंपा गया कि हिंदी का प्रचार–प्रसार हो और वह भारत की सामासिक संस्कृति का प्रभावी माध्यम बने।

पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय भाषाओं और संस्कृति के पुनर्जागरण का एक स्वर्णिम कालखंड आया है। चाहे संयुक्त राष्ट्रसंघ का मंच हो, जी–20 का सम्मेलन या SCO में संबोधन, मोदी जी ने हिंदी और भारतीय भाषाओं में संवाद कर भारतीय भाषाओं का स्वाभिमान बढ़ाया है।

मोदी जी ने आजादी के अमृत काल में गुलामी के प्रतीकों से देश को मुक्त करने के जो पंच प्रण लिए थे, उसमें भाषाओं की बड़ी भूमिका है। हमें अपनी संवाद और आपसी संपर्क भाषा के रूप में भारतीय भाषा को अपनाना चाहिए, न कि किसी विदेशी भाषा को। तभी हम गुलामी की मानसिकता से पूरी तरह मुक्त हो पाएँगे।

राजभाषा हिंदी ने 76 गौरवशाली वर्ष पूरे किए हैं। राजभाषा विभाग ने अपनी स्थापना के स्वर्णिम 50 वर्ष पूर्ण कर हिंदी को जनभाषा और जनचेतना की भाषा बनाने का अद्‌भुत कार्य किया है। 2014 के बाद से सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को निरंतर बढ़ावा दिया गया है। संसदीय राजभाषा समिति ने वर्ष 1976 में अपनी स्थापना से लेकर 2014 तक माननीय राष्ट्रपति महोदया को प्रतिवेदन के 9 खंड प्रस्तुत किए थे, वहीं 2019 से अब तक 3 खंड प्रस्तुत किए जा चुके हैं। 13–14 नवम्बर 2021 को वाराणसी से प्रारंभ हुए अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलनों की परम्परा भी लगातार आगे बढ़ रही है।

सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी राजभाषा विभाग ने उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल की हैं। न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन पर आधारित 'कंठस्थ 2.0' में आज 5 करोड़ से अधिक वाक्यों का ग्लोबल डाटाबेस उपलब्ध है। 'लीला राजभाषा' और 'लीला प्रवाह' जैसे शिक्षण पैकेजों के माध्यम से 14 भारतीय भाषाओं में हिंदी सीखने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। वर्ष 2022 में शुरू हुआ 'हिंदी शब्द सिंधु' अब तक लगभग 7 लाख शब्दों से समृद्ध हो चुका है।

2024 में हिंदी दिवस पर 'भारतीय भाषा अनुभाग' की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं के बीच सहज अनुवाद सुनिश्चित करना है। हमारा लक्ष्य यह है कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएँ केवल संवाद का माध्यम न रहकर तकनीक, विज्ञान, न्याय, शिक्षा और प्रशासन की धुरी बनें। डिजिटल इंडिया, ई–गवर्नेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के इस युग में हम भारतीय भाषाओं को भविष्य के लिए सक्षम, प्रासंगिक और वैश्विक तकनीकी प्रतिस्पर्धा में भारत को अग्रणी बनाने वाली शक्ति के रूप में विकसित कर रहे हैं।

मित्रों, भाषा सावन की उस बूँद की तरह है, जो मन के दुःख और अवसाद को धोकर नई ऊर्जा और जीवन शक्ति देती है। बच्चों की कल्पना से गढ़ी गई अनोखी कहानियों से लेकर दादी–नानी की लोरियों और किस्सों तक, भारतीय भाषाओं ने हमेशा समाज को जिजीविषा और आत्मबल का मंत्र दिया है।

मिथिला के कवि विद्यापति जी ने ठीक ही कहा है:
"देसिल बयना सब जन मिट्ठा।"
अर्थात् अपनी भाषा सबसे मधुर होती है।

आइए, इस हिंदी दिवस पर हम हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाओं का सम्मान करने और उन्हें साथ लेकर आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी तथा विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ने का संकल्प लें।

आप सभी को एक बार फिर से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ।

वंदे मातरम्।

नई दिल्ली
14 सितंबर, 2025

(अमित शाह)

एम. नागराजू
सचिव
M. NAGARAJU
SECRETARY

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएँ विभाग
Government of India
Ministry of Finance
Department of Financial Services

संदेश

हिन्दी दिवस के अवसर पर आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं।

यह सर्वविदित है कि हिन्दी भाषा की व्यापकता के दृष्टिगत इसके प्रसार हेतु भारत की संविधान सभा ने 14 सितम्बर, 1949 को हिन्दी को 'राजभाषा' का गौरव प्रदान किया था। तभी से, प्रत्येक वर्ष 14 सितम्बर को हिन्दी दिवस के रूप में मनाया जाता है।

भाषा सिर्फ शब्दों का संग्रह ही नहीं होती है, बल्कि यह मानवीय संबंध और विरासत की मौलिकता की संवाहक भी होती है। अत:, उसका संरक्षण व विकास करना हम सबका साझा दायित्व है। हिन्दी को सिर्फ संवाद की भाषा के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि यह भारत के आम जनमानस में साहित्य, दर्शन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण व सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता लाने का एक सशक्त माध्यम भी है।

विविधता में एकता, हमारे देश का मूलभूत आधार है, और भाषायी दृष्टि से हिन्दी, देश की सामाजिक और सांस्कृतिक एकता के लिए एक सेतु का काम करती है। हिन्दी के प्रयोग को कार्यालयी कामकाज में बढ़ाने के लिए सरकार ने अनेक प्रोत्साहन योजनाएं प्रारंभ की हैं, और इन्हीं सकारात्मक प्रयासों के चलते हिन्दी का प्रयोग हमारे वित्तीय सेवाएं विभाग एवं इसके अंतर्धीन समस्त कार्यालयों में भी उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के इस कालखंड में आवश्यकता इस बात की है कि हमारे कार्यालय हिन्दी के सरलतम रूप को अपनाकर न सिर्फ राजकीय कामकाज में अधिक से अधिक इसका प्रयोग करके, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित राजभाषा संबंधी मानदंडों के अनुरूप अपेक्षित लक्ष्य को वर्ष-दर-वर्ष पूरा करें, अपितु वित्तीय समावेशन की तरह ही देश में राजभाषा को भी प्रत्येक जनमानस तक पहुंचाएं।

अंत में मैं आप सभी को कालजयी भाषा हिन्दी को समर्पित, इस विशेष दिवस की अनंत शुभकामनाएं देता हूं।

नागराजू

(एम.नागराजू)

जीवन दीप भवन, तृतीय तल, संसद मार्ग, नई दिल्ली-११०००१ / Jeevan Deep Building, 3rd Floor, Parliament Street, New Delhi-110 001
Phone : +91-11-23340222 / 23343478 E-mail : secy-fs@nic.in Website : www.financialservices.gov.in

अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

विनय कुमार वर्मा

वर्तमान वैश्विक अर्थव्यवस्था किसी जटिल ताने-बाने की तरह है जिसमें व्यापार, निवेश और वित्तीय बाजार एक-दूसरे में गहराई से जुड़े हुए हैं। इस व्यवस्था में जब अमेरिका जैसी कोई विशाल अर्थव्यवस्था अपनी व्यापारिक नीतियों में कोई महत्वपूर्ण बदलाव करती है तो उसका असर केवल वस्तुओं और सेवाओं के आदान-प्रदान तक सीमित नहीं रहता बल्कि यह वैश्विक पूंजी के प्रवाह, वित्तीय स्थिरता और बैंकों की कार्यप्रणाली पर भी गहरा प्रभाव डालता है। अमेरिका न केवल दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है बल्कि अमेरिकी डॉलर अंतरराष्ट्रीय व्यापार की प्रमुख मुद्रा भी है। इस कारण अमेरिका द्वारा उठाए गए किसी भी कदम विशेषकर टैरिफ जैसे संरक्षणवादी उपाय की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देती है।

यह समझना महत्वपूर्ण है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार केवल बंदरगाहों पर माल उतारने और चढ़ाने की प्रक्रिया नहीं है। यह एक ऐसी वित्तीय श्रृंखला है जिसमें ऋण, जोखिम प्रबंधन और मुद्रा विनिमय शामिल हैं इसलिए जब अमेरिका, भारतीय उत्पादों पर टैरिफ लगाता है तो यह केवल निर्यातकों और आयातकों को ही प्रभावित नहीं करता बल्कि यह भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की बुनियाद जिसमें निवेश प्रवाह, ऋण वितरण की गुणवत्ता और विदेशी मुद्रा बाजार की स्थिरता शामिल है, को भी गहराई से प्रभावित करता है। भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंध दशकों पुराने और बहुआयामी हैं। भारत, अमेरिका को कपड़े, दवाइयां, इंजीनियरिंग उत्पाद, आईटी सेवाएं और कृषि वस्तुएं जैसे विभिन्न उत्पाद निर्यात करता है। वहीं भारत, अपनी रक्षा और औद्योगिक जरूरतों के लिए अमेरिका से उच्च तकनीक वाली मशीनें, रक्षा उपकरण और अन्य पूंजीगत वस्तुएं आयात करता है। इस घनिष्ठ व्यापारिक संबंध के कारण टैरिफ का कोई भी कदम

सीधे तौर पर भारतीय व्यापार संतुलन और अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र पर व्यापक असर डालता है। यह लेख इसी जटिल प्रभाव का विश्लेषण करेगा जो केवल आंकड़ों से परे जाकर ऋण की गुणवत्ता, जोखिम और भविष्य की संभावनाओं का आकलन करता है।

टैरिफ क्या है और यह बैंकिंग को किस प्रकार प्रभावित करता है? इसे समझने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि टैरिफ क्या है? सरल शब्दों में टैरिफ किसी दूसरे देश से आने वाली वस्तुओं (आयात) पर लगाया जाने वाला एक प्रकार का कर या शुल्क है। सरकारें आमतौर पर दो मुख्य कारणों से टैरिफ लगाती हैं : पहला, अपने घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाना और दूसरा सरकारी राजस्व बढ़ाना। जब अमेरिका, भारतीय उत्पादों पर टैरिफ लगाता है तो इसका सीधा परिणाम यह होता है कि भारतीय वस्तुएं अमेरिकी बाजार में महंगी हो जाती हैं। उदाहरण के लिए यदि भारत में बना कोई स्टील उत्पाद $100 का है और अमेरिका उस पर 25% का टैरिफ लगाता है तो अमेरिकी खरीदार के लिए उसकी कीमत

$125 हो जाएगी। इससे अमेरिकी घरेलू स्टील उत्पादकों को कीमत में प्रतिस्पर्धा का लाभ मिल सकता है। परिणामस्वरूप भारतीय उत्पादों की मांग घट जाती है जिससे निर्यातकों की बिक्री और आय पर नकारात्मक असर पड़ता है।

अब इसे बैंकिंग उद्योग के दृष्टिकोण से देखें। बैंक, निर्यातकों को अपना व्यवसाय चलाने के लिए कई तरह की वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं जैसे कि 'पैकिंग क्रेडिट' (माल बनाने और पैक करने के लिए ऋण) और 'पोस्ट-शिपमेंट फाइनेंस' (माल भेजने के बाद भुगतान मिलने तक के लिए ऋण)। इन सभी ऋणों का आधार यह विश्वास होता है कि निर्यातक अपना माल बेचकर समय पर बैंक का पैसा चुका देगा। जब टैरिफ के कारण निर्यातक की आय घटती है तो उसकी ऋण चुकाने की क्षमता भी कमजोर हो जाती है। इससे बैंक के लिए क्रेडिट रिस्क (ऋण वापसी न होने का जोखिम) बढ़ जाता है। एक निर्यातक का डिफॉल्ट होना सिर्फ एक खाते का अनर्जक (नॉन-परफॉर्मिंग एसेट) होना नहीं है बल्कि यह उस पूरे सेक्टर के लिए एक चेतावनी होती है जिससे बैंक, भविष्य में उस सेक्टर को ऋण देने के प्रति अधिक सतर्क हो जाते हैं।

'अमेरिका फर्स्ट' नीति: विगत कुछ वर्षों में अमेरिका ने 'अमेरिका फर्स्ट' नामक एक संरक्षणवादी व्यापार नीति अपनाई है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य अमेरिकी उद्योगों और नौकरियों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाना था। इसके अंतर्गत अमेरिका ने चीन, यूरोप और भारत सहित कई देशों से आने वाले उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाकर अपने घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने की कोशिश की। भारत जैसे तेजी से उभरते देश के लिए यह नीति एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आई।

अमेरिका ने विशेष रूप से स्टील, एल्युमिनियम, दवाइयों और कुछ कृषि उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाए जो भारत के प्रमुख निर्यात उत्पादों में से हैं। उदाहरण के लिए स्टील और एल्युमिनियम पर टैरिफ बढ़ने से भारतीय धातु उद्योग सीधे तौर पर प्रभावित हुआ। इन उद्योगों ने अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए बैंकों से भारी मात्रा में ऋण लिया हुआ था। जब उनके सबसे बड़े बाजारों में से एक अमेरिका में उनकी पहुंच सीमित हो गई तो उनकी कमाई पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। बैंकिंग उद्योग के लिए यह एक सीधी चुनौती थी क्योंकि उनका निर्यात ऋण (एक्सपोर्ट क्रेडिट) पोर्टफोलियो अचानक उच्च जोखिम में आ गया। बैंकों को अब इन खातों की बारीकी से निगरानी करनी पड़ रही थी और संभावित अनर्जक आस्तियों के लिए अतिरिक्त प्रावधान करने की आवश्यकता महसूस होने लगी थी।

भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रत्यक्ष प्रभाव : अमेरिका द्वारा लगाया गया टैरिफ, भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रत्यक्ष रूप से निम्नानुसार प्रभावित कर सकता है -

- **निर्यात पर असर और बढ़ता क्रेडिट रिस्क :** टैरिफ का सबसे पहला और सीधा असर भारतीय निर्यातकों पर पड़ा। अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पाद महंगे होने के कारण उन्हें ऑर्डर कम मिलने लगे। इससे न केवल उनका मुनाफा कम हुआ बल्कि कई मामलों में उन्हें उत्पादन घटाना पड़ा। भारतीय बैंकों के लिए यह स्थिति खतरे की घंटी है। कम मुनाफा और घटते ऑर्डर का मतलब है कि कंपनी की नकदी प्रवाह प्रभावित होगी जिससे उसके द्वारा लिए गए ऋण पर चूक का खतरा भी बढ़ जाएगा। बैंकिंग क्षेत्र के लिए यह एक गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग में बैंकों का बड़ा निवेश होता है और इन क्षेत्र में किसी भी तरह की अस्थिरता सीधे उनके तुलन पत्र पर असर डालती है।

- **आयात पर असर और ऋण मूल्यांकन की जटिलता :** व्यापार दो-तरफा रास्ता है। जब अमेरिका ने टैरिफ लगाए तो जवाबी कार्रवाई में भारत ने भी कुछ अमेरिकी वस्तुओं पर टैरिफ लगा दिया। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार महंगा हो गया। भारत, अमेरिका में कई महत्वपूर्ण वस्तुएं जैसे उच्च तकनीक वाली मशीनें और पूंजीगत उपकरण आयात करता है। इन पर टैरिफ लगने में भारतीय उद्योगों की परियोजना लागत बढ़ गई जो उद्योग विस्तार या आधुनिकीकरण के लिए बैंकों से ऋण लेने की योजना बना रहे थे, उनके लिए अब यह प्रक्रिया जटिल हो गई। बैंकों के लिए भी ऋण मूल्यांकन भी मुश्किल हो गया क्योंकि उन्हें अब बढ़ी हुई लागत, संभावित मांग में कमी और वैश्विक अनिश्चितता जैसे अतिरिक्त जोखिमों का आंकलन करना था।

- **रोजगार पर असर और खुदरा ऋण पर दबाव :** निर्यात आधारित उद्योग यथा टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, हस्तशिल्प और कृषि-प्रसंस्करण इत्यादि बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देते हैं।

जब निर्यात घटता है तो इसका सीधा असर इन क्षेत्रों में नौकरियों पर पड़ता है। नौकरियां जाने या वेतन में कटौती होने से लोगों की आय कम हो जाती है। जब आम आदमी की आय घटती है तो उसकी ऋण चुकाने की क्षमता भी कम हो जाती है। किसी बैंक के लिए इसका मतलब है कि उनके खुदरा ऋण पोर्टफोलियो पर दबाव बढ़ना। आवास ऋण, वाहन ऋण तथा वैयक्तिक ऋण की किस्तें चुकाने में लोगों को कठिनाई हो सकती है जिससे उन सेगमेंट में एनपीए बढ़ने का खतरा पैदा हो जाता है।

- **विदेशी निवेश पर असर और मुद्रा का जोखिम :** व्यापारिक तनाव और अनिश्चितता का माहौल विदेशी निवेशकों को सतर्क कर देता है। वे ऐसे बाजार में पैसा लगाने में हिचकिचाते हैं जहाँ नीतियां स्थिर न हों। जब विदेशी संस्थागत निवेश और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह घटता है तो इसका असर देश के पूंजी बाजार और मुद्रा पर पड़ता है। बैंकिंग क्षेत्र के लिए यह स्थिति दोहरी मार की तरह है। पहला, विदेशी निवेश घटने से भारतीय रुपये पर दबाव बढ़ता है और वह डॉलर के मुकाबले कमजोर होता है। जब रुपया कमजोर होता है तो भारतीय कंपनियों ने द्वारा लिए गए बाह्य वाणिज्यिक उधार के कारण उनकी ऋण लागत बढ़ जाती है। इसका कारण यह है कि उन्हें डॉलर चुकाने के लिए अब ज्यादा रुपये खर्च करने पड़ते हैं। इससे उनके डिफॉल्ट होने का खतरा बढ़ता है। दूसरा, विदेशी मुद्रा की आवक कम होने से बैंकों की विदेशी मुद्रा तरलता पर भी असर पड़ सकता है।

अप्रत्यक्ष प्रभाव : बढ़ा हुआ टैरिफ प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने के साथ-साथ अप्रत्यक्ष रूप से भी वित्तीय प्रणाली को असंतुलित करता है। इसके कुछ अप्रत्यक्ष प्रभाव इस प्रकार है -

- **मुद्रा विनिमय दर और एनपीए का बढ़ता खतरा :** जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट किया गया है कि निर्यात घटने और विदेशी निवेश में कमी से डॉलर की मांग बढ़ती है तथा रुपये की कीमत गिरती है। एक कमजोर रुपया आयातकों के लिए कच्चा माल महंगा कर देता है जिससे मुद्रास्फीति बढ़ सकती है। बैंकिंग क्षेत्र के लिए रुपये की कमजोरी का सबसे बड़ा खतरा उन कंपनियों से आता है जिनका विदेशी मुद्रा में बड़ा ऋण है और उन्होंने उसे हेज (हेजिंग के जरिए जोखिम कम करना) नहीं किया है। रुपये की कमजोरी में ऐसे ऋणों की वापसी की लागत अचानक बढ़ जाती है जिससे बैंकिंग क्षेत्र में एनपीए का खतरा और भी बढ़ जाता है।

- **कच्चे माल की कीमतें और उद्योगों का मुनाफा :** टैरिफ युद्ध के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बाधित होती है। जब भारत द्वारा आयातित कच्चे माल पर टैरिफ लगता है या आपूर्ति बाधित होती है तो भारतीय उद्योगों के लिए उत्पादन लागत बढ़ जाती है। बढ़ी हुई लागत का बोझ या तो वे ग्राहकों पर डालते हैं जिससे महंगाई बढ़ती है या फिर वे अपना मुनाफा कम करते हैं। दोनों ही स्थितियों में कंपनी की वित्तीय सेहत प्रभावित होती है। जब किसी कंपनी का मुनाफा घटता है तो उसकी ऋण चुकाने की क्षमता कम हो जाती है। इससे बैंकों का ऋण जोखिम बढ़ जाता है।

- **उपभोक्ता बाजार और बैंकों का जमा आधार :** महंगी वस्तुओं का असर सीधे तौर पर उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति पर पड़ता है। जब लोगों को अपनी बुनियादी आवश्यकताओं पर अधिक खर्च करना पड़ता है तो उनकी बचत करने की क्षमता कम हो जाती है। बैंकिंग प्रणाली के लिए यह एक गंभीर चिंता का विषय है। बैंकों का मुख्य आधार, जनता की बचत होती है। जब बचत घटती है तो बैंकों के कासा जमा में वृद्धि दर धीमी हो जाती है। जमा में कमी का सीधा मतलब है कि बैंकों की उधार देने की क्षमता प्रभावित होती है जिससे संपूर्ण आर्थिक विकास की गति धीमी पड़ सकती है।

टैरिफ का क्षेत्रवार पर प्रभाव :

- **कृषि क्षेत्र :** भारत के कई कृषि उत्पाद यथा आम, चावल और मसाले अमेरिका में अत्यंत लोकप्रिय हैं। जब इन उत्पादों पर टैरिफ बढ़ता है तो किसानों और कृषि निर्यातकों की आय पर सीधा असर पड़ता है। ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में काम करने वाले बैंकों के लिए यह एक चुनौती है क्योंकि इससे कृषि ऋण (जैसे किसान क्रेडिट कार्ड) की वसूली कठिन हो जाती है और इस सेगमेंट में एनपीए बढ़ सकता है।

- **उद्योग क्षेत्र :** स्टील, एल्युमिनियम और टेक्सटाइल जैसे उद्योगों पर टैरिफ का सबसे ज्यादा असर पड़ा। ये उद्योग अत्यधिक पूंजी-गहन होते हैं और इन्होंने अपनी क्षमता विस्तार के लिए

बैंकों से बड़े पैमाने पर ऋण लिया हुआ है। जब टैरिफ के कारण इनके उत्पाद अव्यावहारिक हो जाते हैं तो ये कंपनियां घाटे में चली जाती हैं। इससे उनकी ऋण चुकौती क्षमता लगभग समाप्त हो जाती है। यह स्थिति बैंकों के कॉरपोरेट ऋण बही के लिए एक बड़ा खतरा पैदा करती है।

- **सेवा क्षेत्र :** भारत का आईटी सेवा क्षेत्र अपेक्षाकृत मजबूत रहा है लेकिन यह भी अमेरिकी नीतियों से अछूता नहीं है। टैरिफ के साथ-साथ संरक्षणवादी नीतियां वीजा नियमों को सख्त करती हैं जिससे भारतीय पेशेवरों का अमेरिका जाना मुश्किल हो जाता है। इससे आईटी कंपनियों की परियोजनाओं में देरी हो सकती है और उनके नकदी प्रवाह पर असर पड़ सकता है। यह अंततः उनके द्वारा लिए गए कार्यशील पूंजी की सेवा को प्रभावित करता है।

- **लघु और मध्यम उद्योग :** एमएसएमई, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और बैंकिंग क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण ग्राहक वर्ग है। बैंकों के कुल ऋण पोर्टफोलियो में इन उद्योगों को दिया गया ऋण एक बड़ी मात्रा में होता है। कई एमएसएमई, बड़ी निर्यातक कंपनियों के लिए सहायक इकाइयों के रूप में काम करते हैं। जब टैरिफ के कारण बड़ी कंपनियों के निर्यात ऑर्डर घटते हैं तो इसका सीधा असर इन छोटे उद्योगों पर पड़ता है और उनकी आय कम हो जाती है। इससे एमएसएमई ऋण की वसूली पर गंभीर खतरा मंडराने लगता है जो पहले से ही एक संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है।

अवसर और भविष्य की राह : प्रत्येक चुनौती अपने साथ कुछ अवसर भी लेकर आती है। अमेरिकी टैरिफ ने भारतीय नीति-निर्माताओं और व्यवसायों को कुछ महत्वपूर्ण सबक भी सिखाए हैं जो हमारे लिए दीर्घकालिक अवसर बन सकते हैं। टैरिफ ने भारतीय घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से कुछ हद तक सुरक्षा प्रदान की। इससे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसे अभियानों को बल मिला। बैंकों के लिए यह एक अवसर है कि वे उन घरेलू उद्योगों को अधिक ऋण उपलब्ध कराएं जो आयात का विकल्प बन सकते हैं और देश की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा इस संकट ने भारत को अपने निर्यात के लिए नए बाजार तलाशने के लिए प्रेरित किया, इनमें अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और दक्षिण-पूर्व एशिया जैसे बाजारों को शामिल किया जा सकता है। निर्यातकों द्वारा बाजार का विविधीकरण, बैंकों के लिए भी फायदेमंद है क्योंकि इससे किसी एक देश की नीतियों पर निर्भरता कम होती है और ऋण संविभाग का जोखिम घटता है।

आगे का रास्ता सावधानी और रणनीति से भरा होना चाहिए। इसमें जोखिम प्रबंधन को उन्नत करना, निर्यातकों को समर्थन प्रदान करना, बाजार विविधीकरण पर बल देना और कूटनीतिक संवाद सम्मिलित है। बैंकों को अपने ऋण पोर्टफोलियो का निरंतर स्ट्रेस टेस्टिंग करना होगा ताकि वे यह जान सकें कि वैश्विक व्यापार में किसी बड़े झटके का उन पर क्या असर पड़ेगा। उन्हें सेक्टोरल एक्सपोजर की सीमाओं को और सख्त करना होगा। सरकार को निर्यातकों विशेषकर एमएसएमई को नए बाजारों तक पहुंचने में मदद करने के लिए विशेष राहत पैकेज और प्रोत्साहन योजनाएं देनी चाहिए। इससे उनकी वित्तीय सेहत बनी रहेगी और वे बैंकों के ऋण चुकाने में सक्षम होंगे। इसके अतिरिक्त भारत को अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम करते हुए दुनिया के अन्य देशों के साथ व्यापार समझौते करने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। व्यापार विवादों का स्थायी समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम में ही संभव है। भारत और अमेरिका को अपने मतभेदों को सुलझाने के लिए बातचीत करनी होगी ताकि एक स्थिर और अनुमानित व्यापारिक वातावरण बन सके जो वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता के लिए आवश्यक है।

यह स्पष्ट है कि अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ का प्रभाव केवल भारत के व्यापारिक आंकड़ों तक सीमित नहीं है बल्कि यह भारतीय बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली की नसों में गहराई तक महसूस किया गया है। निर्यात घटने, रोजगार कम होने, विदेशी निवेश में अनिश्चितता और रुपये में कमजोरी ने मिलकर बैंकों की ऋण वसूली क्षमता को सीधे तौर पर प्रभावित किया है जिससे उनके एनपीए और ऋण जोखिम में वृद्धि हुई है। हालांकि इस चुनौती ने भारत को अपनी आर्थिक नीतियों पर पुनर्विचार करने, आत्मनिर्भर बनने और व्यापार के लिए नए रास्ते तलाशने का एक महत्वपूर्ण अवसर भी प्रदान किया है। भविष्य की राह संतुलित नीतियों, बेहतर जोखिम प्रबंधन और वैश्विक सहयोग पर निर्भर करेगी। यदि भारत इन चुनौतियां का सफलतापूर्वक सामना करना है तो वह न केवल एक प्रमुख व्यापारिक शक्ति के रूप में वरन एक मजबूत और लचीली वित्तीय प्रणाली वाले देश के रूप में भी उभर सकता है जो वैश्विक झटकों का सामना करने में अपेक्षाकृत अधिक सक्षम होगा।

-प्रबंधक
आंचलिक कार्यालय पंचकूला

प्रतिस्पर्धा

अवधेश नारायन सिंह

एक समय की बात है, किसी जंगल में बहुत से गिद्ध रहते थे। वे सभी आपस में मिलजुल कर रहा करते थे। जंगल में ग्रीष्म ऋतु बीत जाने के बाद वर्षा ऋतु में नदियों का जल स्तर बढ़ जाने के कारण बाढ़ आ जाती है। जंगल में रहने वाले सभी गिद्ध ऊंचे स्थानों पर पलायन कर जाते हैं लेकिन जंगल के अधिकांश जानवर बाढ़ की चपेट में आकर डूबकर मर जाते हैं। ऐसे समय गिद्धों को अपने भोजन के लिए शिकार मिलना मुश्किल होता जा रहा था क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी था। ऐसी परिस्थिति में गिद्ध मंडली के सरदार गिद्ध ने एक सभा बुलाई और सर्वसम्मति से उस जंगल को छोड़ने का निर्णय लिया गया। अगले दिन सुबह सभी भूखे गिद्ध जंगल को छोड़ उड़ चलते हैं। रास्ते में उड़ते हुए गिद्धों के झुंड ने एक मृत गाय के शव को देखते ही उसका मांस खाने के लिए झपट पड़ते हैं। भूख के कारण सभी गिद्ध अपनी पूरी ताकत से भोजन के लिए लड़-झपट कर किसी तरह भूख मिटाते हैं जिसमें कुछेक गिद्ध घायल भी हो जाते हैं जबकि दो गिद्ध गगनू और गप्पू भूखे ही रह जाते हैं |

भूखे गिद्धों ने सोचा कि भोजन के लिए बड़ी जद्दोजहद और प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। यदि ऐसे ही यह चलता रहा तो अधिकतर भूखे ही रहना पड़ेगा। उनके मन में विचार आया कि क्यों न हम मित्र मंडली से हटकर भोजन के तलाश करें और भोजन मिलने पर हम भरपेट भोजन कर पाएंगे। ऐसा सोच कर दोनों भोजन की तलाश में दक्षिण दिशा में उड़ चलते हैं और कुछ दूरी पर एक मृत हिरण देखते हैं कि दोनों का खुशी का ठिकाना न था। वहाँ आकर दोनों भरपेट भोजन करते हैं। वे बहुत खुश थे क्योंकि अब उनको ज्यादा मेहनत और प्रतिस्पर्धा नहीं करनी पड़ी और उन्हें आनंदपूर्वक पेटभर भोजन की प्राप्ति हो रही है। दोनों खाना खाकर आलस में वहीं पड़े रहते। एक दिन गगनू गिद्ध के मन में विचार आया कि क्यों न वह अकेला ही और आगे उड़कर देखे, कहीं भोजन ही भोजन मिल जाए और सिर्फ वह अकेला ही सारा दावत उड़ा सके, जहां किसी तरह की कोई प्रतिस्पर्धा न हो। उसका भोजन कोई और साझा न कर सके और वह मौज में रहे। गगनू ऐसा सोचकर सोते हुए गप्पू को वहीं छोड़कर उड़ जाता है।

कुछ समय तक उड़ते रहने पर एक छोटे से जंगली टापू पर उसको बहुत सारे मृत जानवर दिखते हैं। ऐसा देखकर वह आश्चर्य चकित था कि कहीं वह सपना तो नहीं देख रहा है। गगनू की खुशी का ठिकाना न था, खुशी के मारे वह नाच रहा था क्योंकि उसका कई दिनों तक के भोजन का इंतजाम हो चुका था और तो और उसके भोजन का कोई साझेदार भी नहीं था। अब वह रोज खाना खाकर आलस में आराम करता रहता। कुछ दिनों बाद वह बहुत ही मोटा और तंदरुस्त गिद्ध बन चुका था जिससे वह बहुत खुश था। खाना खाकर पड़े रहना उसकी अब आदत बन चुकी थी। कुछ दिनों के बीत जाने के बाद उसने अपने साथियों को आसमान में उड़ते देखा तो अचानक उसे उड़ने का विचार आया किंतु वह अब इतना आलसी और मोटा हो चुका था कि उसे उड़ने में दिक्कत हो रही थी। सैकड़ों प्रयास के बाद भी वह उड़ नहीं पा रहा था। वह मन ही मन बहुत पछताया। ऐसी स्थिति में अब उसका शरीर उसके नियंत्रण से बाहर था और पूरा शरीर निष्क्रिय हो चुका था। अंत में बीमार हो जाने के कारण उसकी मौत हो गई। भोजन के लिए प्रतिस्पर्धा न होना, आरंभ में तो गगनू के लिए सब ठीक था लेकिन धीरे-धारे वह अपने जीवन कर्म से दूर हो गया। बिना प्रतिस्पर्धा के उसका जीवन निरर्थक हो गया। प्रतिस्पर्धा मनुष्य को आलस्य, जड़ता और ठहराव से निकालकर निरंतर आगे बढ़ने को प्रेरित करती है। प्रतिस्पर्धा का अभाव आपको कर्म से विरक्त करता है।

-आंचलिक प्रबंधक
आंचलिक कार्यालय लखनऊ

संसदीय राजभाषा समिति का गांधीनगर दौरा

संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप समिति ने 13 सितंबर, 2025 को बैंक के आंचलिक कार्यालय गांधीनगर में हो रहे राजभाषा कार्यान्वयन का जायज़ा लिया। समिति सदस्यों ने आंचलिक कार्यालय गांधीनगर के राजभाषा कार्यान्वयन के प्रति सकारात्मक टिप्पणी की तथा आगे के लिए उचित निर्देश दिए।

संसदीय राजभाषा समिति का गांधीनगर दौरा

निरीक्षण बैठक में वित्तीय सेवाएं विभाग की ओर से उप महानिदेशक श्री चन्द्रदीप कुमार झा, उप निदेशक (राजभाषा) श्री धर्मबीर तथा बैंक की ओर से मुख्य राजभाषा अधिकारी श्री गजराज देवी सिंह ठाकुर, आंचलिक प्रबंधक गांधीनगर श्री राजेश मल्होत्रा, मुख्य प्रबंधक (राजभाषा) श्री निखिल शर्मा और आंचलिक कार्यालय गांधीनगर में पदस्थ वरिष्ठ प्रबंधक श्री सुनील गहलोत उपस्थित रहे।

ऑफ-साइट मॉनिटरिंग यूनिट (ओएमयू) : निवारक सतर्कता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

अजीत कुमार

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) में बढ़ते कंप्यूटरीकरण और आईटी आधारित प्रणाली की ओर परिचालनों के स्थानांतरण के मद्देनजर भारत सरकार ने पाया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में लेखा परीक्षा प्रणाली, प्रौद्योगिकी तकनीकी प्रगति से काफी पीछे है। तदनुसार, भारत सरकार ने पीएसबी में लेखा परीक्षा प्रणाली को उन्नत करने के लिए सिंडिकेट बैंक के पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री बसंत सेठ की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। समिति ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में प्रकरण के विभिन्न क्षेत्रों की पहचान कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। भारत सरकार (MOF-DFS) ने अपने पत्रांक 7/124/2012-BOA दिनांकित 26 सितंबर, 2012 के माध्यम से बैंकों को लेखा परीक्षा प्रणाली पर दिशा-निर्देश जारी किए तथा समस्त सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को दिशा-निर्देशों को उपयुक्त रूप से अंगीकृत करने की सलाह दी। जारी किए गए दिशा-निर्देशों में पीएसबी में लेखा परीक्षा प्रणाली को नया रूप देने से संबंधित कतिपय विषय शामिल थे। **इनमें एक महत्वपूर्ण विषय यह था कि किसी सुदृढ़ लेखा परीक्षा प्रणाली को सिस्टम जनित रिपोर्ट/ एमआईएस के माध्यम से ऑफ-साइट मॉनिटरिंग यूनिट (ओएमयू) द्वारा भली-भांति समर्थित किया जाना चाहिए।** भारत सरकार (वित्त मंत्रालय-वित्तीय सेवाएं विभाग) ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग में समुचित ऑफ-साइट निगरानी प्रकोष्ठ (Offsite Monitoring Cell) स्थापित करने अथवा महत्वपूर्ण मदों पर एमआईएस (MIS) की समीक्षा करने तथा दैनिक आधार पर सुधारात्मक कार्रवाई के लिए शाखाओं/नियंत्रण कार्यालयों/विभागों को संवेदनशील बनाने हेतु उपयुक्त समान संरचना स्थापित करने की सलाह दी। ओएमयू प्रकोष्ठ, शीर्ष प्रबंधन को गंभीर अनियमितताओं (यदि कोई हो) के विषय में भी तुरंत अवगत कराएगा।

उपरोक्त दिशानिर्देशों के अनुपालन में बैंक ने आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग के अंतर्गत एक ऑफ-साइट मॉनिटरिंग यूनिट (OMU) की स्थापना की जो महत्वपूर्ण मदों पर मैन्युअल रूप से एमआईएस की समीक्षा करती थी। समय के साथ बदलते परिवेश में बैंक ने जुलाई, 2020 में महत्वपूर्ण मदों पर एमआईएस की मैन्युअल समीक्षा से सिस्टम आधारित समीक्षा की ओर रुख किया जो कि एंटरप्राइज़ फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट सॉल्युशन (EFRMS) नामक समाधान समर्थित ओएमयू पोर्टल (OMU Portal) था। सितंबर, 2024 के दौरान बैंक ने ओएमयू पोर्टल को ईएफआरएमएस (EFRMS) से एनसीएस (NCS) सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा समर्थित एथिक (ETHIC) पोर्टल में स्थानांतरित कर दिया।

ऑफ-साइट मॉनिटरिंग की महत्ता : ऑफ-साइट मॉनिटरिंग यूनिट, निगरानी और जोखिम प्रबंधन को उन्नत करके बैंकिंग उद्योग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब, बैंक शाखाओं में बैंकिंग परिचालनों के लेखापरीक्षा हेतु ऑफ-साइट निगरानी/ मॉनिटरिंग एक अनिवार्य उपकरण बन गई है। ऑफ-साइट मॉनिटरिंग यूनिट (ओएमयू) के प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं -

- संभाव्य खतरों/उभरते जोखिमों की त्वरित पहचान और उनका सक्रिय शमन।
- विनियामकीय अनुपालन सुनिश्चित करना।
- प्रणाली और प्रक्रियाओं में परिचालन संबंधी बाधाओं/ कमियों का चिह्नांकन।
- न्यूनतम भौतिक उपस्थिति/ संचलन के कारण किफायती रूप से जोखिम प्रबंधन।

ईएफआरएमएस (EFRMS) पर आधारित ओएमयू पोर्टल की शुरुआत : बैंक ने एक ओएमयू पोर्टल शुरू किया था जो लेनदेन की निगरानी के माध्यम से धोखाधड़ी का पता लगाने और रोकथाम के लिए ईएफआरएमएस (एंटरप्राइज फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट सॉल्यूशन) आधारित समाधान था। इस पोर्टल को पूर्व-निर्धारित परिदृश्यों/ नियमों पर एमआईएस (MIS) से डेटा प्राप्त करके विभिन्न चिह्नित परिदृश्यों/नियमों के आधार पर ऑफ-साइट पर्यवेक्षण तथा परिदृश्यों/नियमों के घटित होने पर अलर्ट उत्पन्न करने के लिए इसे सक्षम किया गया था। इन परिदृश्यों/ नियमों को उनके जोखिम यथा निम्न, मध्यम या उच्च के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। यह पोर्टल, आंचलिक कार्यालयों के लिए सुलभ था।

एक बार पोर्टल में अलर्ट उत्पन्न होने के बाद आंचलिक कार्यालयों को संबंधित शाखाओं के साथ अलर्ट साझा करना था तथा अनुपालन और संवरण के लिए उनकी टिप्पणियां प्राप्त करनी थी। तदनुसार, आंचलिक कार्यालयों में अलर्ट संवरित किए जा रहे थे।

अंचल में समर्पित ओएमयू नामित अधिकारी : वर्ष 2023-24 के दौरान प्रत्येक आंचलिक कार्यालय में ओएमयू अलर्ट **(**OMU Alert**)** की निगरानी और उसके संवरण के लिए एक समर्पित अधिकारी नामित किया गया है। इन नोडल अधिकारियों को ओएमयू पोर्टल तक पहुंच प्रदान की जाती है। विभिन्न नियंत्रण मापदंडों पर जनित ओएमयू अलर्ट**,** संबंधित अंचल के नोडल अधिकारी को (अंचलवार) हस्तगत किए जाते हैं। अंचल विशेष को सौंपे गए अलर्ट की सूची, पोर्टल के माध्यम से निकाली जा सकती है। अंचल के इन ओएमयू नोडल अधिकारियों की रिपोर्टिंग उनके 20 वार्षिक कार्य-निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (APAR) अंकों के साथ प्रधान कार्यालय स्थित ओएमयू कक्ष के मुख्य प्रबंधक/ सहायक महाप्रबंधक को स्थानांतरित कर दी गई है। ओएमयू एप्लिकेशन (EFRMS)**,** संबंधित आंचलिक प्रबंधक द्वारा निर्दिष्ट अनुसार अंचल के प्रत्येक नोडल अधिकारी के लिए समर्पित रूप से सुलभ था। प्रत्येक अंचल के नोडल अधिकारी**,** उत्पन्न प्रत्येक अलर्ट के लिए शाखा की टिप्पणियां प्राप्त करने और उनकी संवीक्षा करने के बाद ओएमयू अलर्ट की निगरानी और संवरण के लिए जवाबदेह थे।

ओएमयू अलर्ट जारी करने के लिए नियमों/परिदृश्यों की समीक्षा : ओएमयू अलर्ट जनरेशन के लिए परिकल्पित परिदृश्य/ नियम, आवश्यकतानुसार समीक्षा (परिवर्धन/ संशोधन/ विलोपन) के अधीन हैं। आरंभ में, आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग के महाप्रबंधक/ उप महाप्रबंधक (स्वतंत्र प्रभार), इन परिदृश्यों/नियमों की समीक्षा करने के लिए सक्षम प्राधिकारी थे। इसके अतिरिक्त एसीई के निर्देशों पर परिदृश्यों/नियमों की समीक्षा की प्रारंभिक चर्चा और विचार-विमर्श के लिए दिनांक 20.10.2023 को प्रधान कार्यालय के विभिन्न विभागों के सहायक महाप्रबंधकों की एक समिति का गठन किया गया था तथा उसके बाद एजीएम समिति के निष्कर्ष को परिदृश्यों/ नियमों की समीक्षा के अनुमोदन के लिए एसीई (ACE) के समक्ष रखा गया। ओएमयू पोर्टल (EFRMS) में कुल 84 नियम थे। अगस्त, 2024 के दौरान ओएमयू अलर्ट जारी करने के समस्त 84 नियमों की व्यापक समीक्षा की गई जिसका उद्देश्य उभरते जोखिमों, जोखिम/ धोखाधड़ी संभाव्य क्षेत्रों के अभिज्ञान और उनके चिह्नांकन करने पर अधिक ध्यान केंद्रित करना था। तदनुसार समीक्षा के पश्चात ओएमयू नियमों (OMU Rules) की संख्या 57 रह गई।

मौजूदा पोर्टल (EFRMS) से नए पोर्टल (eTHIC) पर ओएमयू का स्थानांतरगमन : 15 जनवरी, 2025 को बैंक ने एनसीएस समर्थित एथिक (eTHIC) एप्लीकेशन प्रस्तुत किया जो एक एकीकृत ऑडिट स्वचालित और अनुपालन सॉफ्टवेयर है। इसमें विभिन्न ऑडिट कार्यों के लिए पृथक-पृथक मॉड्यूल हैं, ऑफ-साइट मॉनिटरिंग यूनिट (OMU) भी इस एप्लीकेशन में उपलब्ध ऑडिट मॉड्यूल्स में से एक है। यह एप्लिकेशन पूर्व-निर्धारित मापदंडों (इसके बाद नियम के रूप में संदर्भित) पर एमआईएस से डेटा प्राप्त करने और इन लेन-देन के घटित होने पर अलर्ट उत्पन्न करने में सक्षम है। इस पोर्टल (eTHIC) को दिनांक 15.01.2025 से समस्त संशोधित 57 नियमों के साथ अखिल भारतीय स्तर पर शाखाओं के लिए सक्रिय किया गया है। इन नियमों को अंतर्निहित/ उभरते जोखिमों के अनुसार निम्न, मध्यम या उच्च श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। साथ ही पुराने ओएमयू पोर्टल (EFRMS) पर अलर्ट जनरेशन को दिनांक 15.01.2025 के पश्चात बंद कर दिया गया है।

दोहरी उपयोगकर्ता प्रणाली की शुरुआत : नए ओएमयू समाधान (eTHIC) के समावेश के साथ बैंक ने ओएमयू अलर्ट के अनुपालन**,** संवीक्षा और संवरण के लिए प्रत्येक स्तर अर्थात शाखा के साथ-साथ आंचलिक कार्यालय में निर्माता (Maker) और परीक्षक (Checker)

के रूप में दोहरी उपयोगकर्ता प्रणाली आरंभ की है। शाखा और आंचलिक कार्यालय स्तर पर प्रत्येक उपयोगकर्ताओं की भूमिकाएं और दायित्व निम्नानुसार विस्तृत हैं :

भूमिका स्तर	किसे नामित किया जा सकता है?
शाखा मेकर (BRANCH MAKER)	♦ शाखा के स्केल-1 और उससे ऊपर के किसी भी अधिकारी को ओएमयू पोर्टल के लिए शाखा मेकर के रूप में नामित किया जा सकता है। शाखा प्रभारी के अनुरोध पर एक या उससे अधिक शाखा मेकर नामित किए जा सकते हैं। ♦ द्वि-सदस्यीय शाखाओं के प्रकरण में जहां केवल एक अधिकारी/ प्रबंधक के साथ एकल खिड़की परिचालक (SWO)/ ग्राहक सेवा प्रतिनिधि (CSA) पदस्थ हैं, आंचलिक प्रबंधक को सूचित करते हुए एकल खिड़की परिचालक/ ग्राहक सेवा प्रतिनिधि को शाखा मेकर के रूप में नामित किया जा सकता है। ♦ शाखा मेकर को संबंधित आंका मेकर / चेकर द्वारा जोड़ा अथवा प्रतिस्थापित किया जा सकता है।
शाखा चेकर (BRANCH CHECKER)	♦ शाखा प्रभारी को ओएमयू पोर्टल के लिए शाखा चेकर की भूमिका समनुदेशित की जानी चाहिए। ♦ जिन शाखाओं में सहायक महाप्रबंधक/ उप महाप्रबंधक प्रभारी हैं, आंचलिक प्रबंधक को सूचित करते हुए अपने सहायक प्रभारी (न्यूनतम स्केल-IV/ III) को शाखा चेकर के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। ♦ सहायक महाप्रबंधक/ उप महाप्रबंधक वाले शाखाओं के प्रकरण में संबंधित आंका मेकर/ चेकर द्वारा शाखा चेकर को बदला जा सकता है।
आंचलिक कार्यालय मेकर (ZO MAKER)	♦ आंचलिक कार्यालय ओएमयू (OMU) नोडल अधिकारी को आंका मेकर के रूप में जाना जाएगा जो कि आंचलिक कार्यालय में कार्यरत कोई भी अधिकारी (स्केल-I/II/III) हो सकता है। ♦ आंका मेकर को प्रधान कार्यालय ओएमयू (OMU) उपयोगकर्ताओं द्वारा जोड़ा/ प्रतिस्थापित/ संशोधित किया जा सकता है।
आंचलिक कार्यालय चेकर (ZO CHECKER)	♦ अंचल के सहायक प्रभारी/ आंचलिक कार्यालय के किसी भी मुख्य प्रबंधक को आंका चेकर के रूप में नामित किया जा सकता है। ♦ आंका चेकर को प्रधान कार्यालय ओएमयू उपयोगकर्ताओं द्वारा जोड़ा/ प्रतिस्थापित/ संशोधित किया जा सकता है।

ओएमयू अलर्ट की प्रवाह प्रक्रिया : ओएमयू अलर्ट की प्रवाह प्रक्रिया अर्थात इसका सृजन, समनुदेशन, अनुपालन, सत्यापन और संवरण इस प्रकार है –

चरण 1 – एथिक (**Ethic**) एप्लिकेशन द्वारा **T+1** के आधार पर अलर्ट जनरेट किए जाते हैं जहाँ **T** लेनदेन की तिथि है।

चरण 2- एप्लिकेशन द्वारा कोई भी ओएमयू (OMU) अलर्ट जनरेट होने पर यह संबंधित शाखा के शाखा मेकर को स्वतः ही असाइन किया जाएगा तथा शाखा मेकर के लॉगिन में प्रदर्शित होगा। शाखा मेकर को अपने एडी क्रेडेंशियल्स से लॉग-इन करके पोर्टल की प्रतिदिन जांच करनी होगी। वह वास्तविकता/किसी भी अंतर्निहित जोखिम के लिए लेनदेन/ घटना की जांच करेगा और तदनुसार प्रत्येक ओएमयू अलर्ट पर टिप्पणियां प्रस्तुत करेगा तथा उन्हें शाखा चेकर को अग्रेषित करेगा। वह अपनी टिप्पणियों/ टिप्पणियों के प्रमाण के लिए **5** एमबी तक की कोई भी फ़ाइल/अनुलग्नक अपलोड कर सकता है।

चरण 3- शाखा मेकर द्वारा शाखा चेकर को भेजे गए अलर्ट अब शाखा चेकर के लॉगिन पर स्थानांतरित हो जाएंगे। शाखा चेकर को विद्यमान बैंक/ नियामक/ सरकार/ संबंधित दिशा-निर्देशों के अनुसार शाखा मेकर की टिप्पणियों की जांच और विश्लेषण करना होगा। यदि टिप्पणियां संतोषजनक पाई जाती हैं तो अलर्ट को बंद करने के लिए आंचलिक कार्यालय मेकर को प्रकरण अग्रेषित कर दिया जाएगा और यदि शाखा चेकर संतुष्ट नहीं होते हैं तो प्रकरण वापस शाखा मेकर को भेज दिया जाएगा।

चरण 4 – शाखा चेकर द्वारा आंचलिक कार्यालय मेकर को भेजे

गए अलर्ट अब आंचलिक कार्यालय मेकर के लॉगिन में प्रदर्शित होंगे। यहां आंचलिक कार्यालय मेकर, नियमों के जोखिम मानदंडों के अनुसार अलर्ट पर निम्नानुसार कार्रवाई करेगा :

निम्न एवं मध्यम जोखिम नियम आधारित अलर्ट के लिए : आंचलिक कार्यालय मेकर को सीबीएस सहायता या अन्य माध्यम से शाखा मेकर एवं चेकर के अनुपालन/ टिप्पणियों की जांच और सत्यापन करना होगा तथा यह सुनिश्चित करना होगा कि अलर्ट का तार्किक रूप से विश्लेषण किया गया है। इसके पश्चात संतुष्ट होने पर वह अलर्ट बंद कर सकता है या वह अपनी संतुष्टि के लिए शाखा से कोई भी दस्तावेज़ी साक्ष्य अपलोड करने के लिए कह सकता है अथवा टिप्पणियां/ अनुपालन असंतोषजनक पाए जाने पर शाखा मेकर को अलर्ट वापस कर सकता है।

नोट : यदि आंचलिक कार्यालय मेकर किसी निम्न/ मध्यम जोखिम आधारित अलर्ट को आंचलिक कार्यालय चेकर तक पहुंचाना/ अग्रेषित करना चाहता है तो वह प्रकरण की प्राथमिकता के आधार पर ऐसा कर सकता है।

उच्च जोखिम नियम आधारित अलर्ट के लिए : आंचलिक कार्यालय मेकर को सीबीएस सहायता या अन्य माध्यम से शाखा मेकर और चेकर परीक्षक की अनुपालन/ टिप्पणियों की जांच और सत्यापन करना होगा तथा यह सुनिश्चित करना होगा कि अलर्ट का तार्किक रूप से विश्लेषण किया गया है। इसके बाद संतुष्ट होने पर वह अपनी टिप्पणियां/ अनुशंसा प्रस्तुत करेगा तथा **अलर्ट को बंद करने के लिए आंचलिक कार्यालय चेकर को अग्रेषित करेगा।** यदि वह संतुष्ट नहीं है तो वह शाखा मेकर को प्रकरण/अलर्ट वापस भेज सकता है।

चरण 5- जब आंचलिक कार्यालय मेकर किसी भी उच्च जोखिम नियम आधारित अलर्ट को अग्रेषित करता है तो वह अलर्ट, आगे की कार्रवाई (जांच और संवरण) के लिए आंचलिक कार्यालय चेकर को भेज दिया जाएगा। आंचलिक कार्यालय चेकर को सीबीएस सहायता या अन्य माध्यम से शाखा मेकर/ चेकर द्वारा प्रस्तुत अनुपालन/ टिप्पणियों की जांच व सत्यापन करना होगा तथा यह सुनिश्चित करना होगा कि अलर्ट का उचित विश्लेषण किया गया है। इसके पश्चात संतुष्ट होने पर **वह अलर्ट को बंद कर सकता है** या फिर अपनी संतुष्टि के लिए वह शाखा से कोई भी साक्ष्य अपलोड करने के लिए कह सकता है अथवा असंतोषजनक पाए जाने पर अलर्ट को शाखा मेकर को वापस कर सकता है या वह आगे कोई उपयुक्त उपचारात्मक कार्रवाई यथा तथ्यान्वेषण/ विशेष जांच का सुझाव दे सकता है तथा विद्यमान मानदंडों के अनुसार आगे की कार्रवाई कर सकता है।

ओएमयू अलर्ट के गैर-संवरण के लिए एस्केलेशन मैट्रिक्स : एक बार अलर्ट जनरेट होने पर शाखा को सिस्टम जनित सूचना मेल (INTIMATION MAIL) प्राप्त होगी। यदि अलर्ट टीएटी (अर्थात **4** दिन) के भीतर बंद नहीं किए जाते हैं तो निम्नलिखित एस्केलेशन मैट्रिक्स का अनुसरण किया जाएगा -

क्र. सं.	समय-सीमा	मेल संपर्क	आवृत्ति
1	टीएटी (अर्थात अलर्ट जनरेट होने की तिथि से 4 दिन पश्चात) के बाद संवरण के लिए लंबित अलर्ट	शाखा प्रभारी के आधिकारिक ई-मेल के साथ-साथ आंचलिक कार्यालय मेकर/ चेकर को भी ई-मेल भेजा जाएगा।	दैनिक
2	अलर्ट जारी होने की तिथि से 10 दिन पश्चात (अर्थात 11 दिन से 15 दिन तक लंबित अलर्ट) संवरण के लिए लंबित अलर्ट।	आंचलिक प्रबंधक के आधिकारिक ई-मेल के साथ-साथ आंचलिक निरीक्षणालय उपयोगकर्ताओं (USERS) को भी ई-मेल भेजा जाएगा।	दैनिक
3	अलर्ट जारी होने की तिथि से 15 दिन से अधिक समय तक संवरण के लिए लंबित अलर्ट।	ओएमयू कक्ष के सहायक महाप्रबंधक के साथ-साथ प्रधान कार्यालय उपयोगकर्ताओं को भी ई-मेल भेजा जाएगा।	दैनिक

- वरिष्ठ प्रबंधक
प्रधान कार्यालय निरीक्षण एवं लेखा परीक्षा विभाग

हिंदी कार्यशाला

आंचलिक कार्यालय लखनऊ

आंचलिक कार्यालय होशियारपुर

आंचलिक कार्यालय भोपाल

स्टाफ प्रशिक्षण केंद्र, रोहिणी, नई दिल्ली

आंचलिक कार्यालय बरेली

आंचलिक कार्यालय वाराणसी

हिंदी कार्यशाला

आंचलिक कार्यालय चेन्नै

आंचलिक कार्यालय गुवाहाटी

आंचलिक कार्यालय आगरा

आंचलिक कार्यालय कोलकाता

आंचलिक कार्यालय देहरादून

आंचलिक कार्यालय दिल्ली-2

आ अब लौट चलें

रामेश्वर प्रसाद कांति

सूर्य की सुनहरी किरणें दूर तक फैली हुई थीं। धरती पर पीली आभा चारों तरफ बिखरी हुई थी जैसे जीवन ने खुद को किसी पुराने कागज़ पर उकेर दिया हो। दिन भर के थके-हारे पंछी अपने घरौंदों की ओर लौट रहे थे। प्रकृति अपने घटकों के शेष को परिपूर्ण रही थी। बस अपूर्ण थी तो एक यात्रा जिस पर एक मानव, एक अनंत पथ पर डगमगाता हुआ मगर दृढ़ कदमों से आगे बढ़ रहा था। हाथ में छड़ी मानो - मस्तिष्क में अनुतरित प्रश्नों की झड़ी थी और थी पीठ पर समय की रेखाएं!

मानो कल की ही बात थी जब रमेश के किसान पिता ने उसे वकालत पढ़ने के लिए शहर भेजा था। सोचा कि पुश्तैनी जमीन का टुकड़ा बेचकर रमेश का भविष्य सुधर जाएगा और बूढ़े होते माता-पिता के जीवन में भी खुशियां लौट आएंगी। रमेश भी तो वादा करके गया था कि एक दिन वह इस जमीन का कर्ज जरूर चुकाएगा। आखिर गांव की इसी सोंधी मिट्टी में तो उसका जीवन पल्लवित और पुष्पित हुआ है। यहां के खेत-खलिहान, गली-चौबारे, कल-कल निनाद करते हुए ऊंचे-ऊंचे पर्वतों से बहते हुए झरने, शांत एवं सौम्य वातावरण, भोले-भाले और हृदय के निर्मल लोग, वह सारे बाल मित्र जिनको वह अपनी पूंजी मानता था, भला यह सब वह कैसे भूल पाता? रमेश के अवचेतन मन में अचानक 35 वर्ष पूर्व की घटना उभर आई।

आज रमेश शहर का एक प्रतिष्ठित वकील 'एडवोकेट राम मनोहर' बन चुका था। इंसाफ के मंदिर में उसने कई केस लड़े, कानून की तिकड़म-बाजी और चालाकियों से उसने कई केस जीते। जीवन में हर मुकाम को प्राप्त किया, शहर में ही विवाह कर पत्नी और बच्चों के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रहा था, इस शहर ने उसे बहुत कुछ दिया — नौकरी, मकान, रोशनी और भीड़ लेकिन धीरे-धीरे वही भीड़

उसके भीतर सन्नाटा भरने लगी। हर सुबह की भाग-दौड़, हर शाम की थकान में कहीं उसका बचपन गुम हो गया था। गांव की पगडंडियों से चलते- चलते कब वह शहर की चका-चौंध में खो गया सच में पता ही नहीं चला! समय मानो मुट्ठी में रेत की समान फिसलता रहा। अब बच्चे अपनी-अपनी मंजिलों की ओर बढ़ चुके थे। नियति ने धर्म पत्नी को भी छीन लिया था, माता-पिता भी उसके घर लौटने की बाट जोहते हुए परलोक सिधार गए थे। एक रात उसे अपने बड़े से मकान के छोटे से कमरे में नेपथ्य में एक आवाज सुनाई दी -

'ऐ मेरी जिंदगी! लौट आ गांव में
भटकेगी कब तलक धूप और छांव में।'

इस आवाज में एक सम्मोहन था जो बरबस ही उसे अपनी ओर खींचे चली जा रही थी। उसे अपने गांव और जन्मभूमि की याद आ गई और साथ ही याद आ गया सबसे किया हुआ वह वादा कि मैं वापस जरूर आऊंगा। उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ और फिर उस आवाज ने कहा - आ अब लौट चलें। ना चाहते हुए

भी डगमगाते हुए उसके कदम उस ओर चल पड़े। जीवन की सांझ अब उसके अस्तित्व को झकझोर रही थी। अनायास ही गांव की वह अविस्मरणीय यादें उसके मानस पटल पर उभर पड़ी। यात्रा का यह समय आज बहुत भारी प्रतीत हो रहा था, पहाड़ों के पीछे ढलता सूरज उसे उसकी अंतिम यात्रा की याद दिला रहा था। यह वही सूरज था जो कभी उसके सपनों के उदय का साक्षी था मगर आज जीवन के सूर्यास्त में उसके साथ उसका कोई साथी नहीं था।

रास्ता लंबा, रेतीला और कांटों भरा था लेकिन हवा में वही पुरानी खुशबू थी। अरे यही तो है वह गलियां और चौबारे जहां वह अपने बचपन के साथियों के साथ अपने स्वर्णिम भविष्य के सपने बुना करता था। बीते जीवन की यादों की माला का एक-एक मोती टूट-टूटकर यूं बिखरता चला जा रहा था मानो वह उसके तथाकथित संपन्न जीवन की हंसी उड़ा रहे हों। चलते-चलते उसने एक सूखी झाड़ी के पास रुककर अपनी छड़ी टेक दी। आँखें बंद की तो उसे अपनी पत्नी, वृद्ध माता- पिता का चेहरा दिखाई दिया जो अब इस दुनिया में नहीं थे। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आई — "देखो, मैं लौट आया हूँ" उसने हवा में धीरे से कहा।

आगे रास्ता सुनहरा था जैसे खुद भगवान ने उसके लिए एक आख़िरी मार्ग तैयार किया हो। दूर आसमान में उड़ते परिंदों का झुंड मानो उसकी आत्मा को दिशा दिखा रहा हो। हर कदम के साथ उसको आभास हो रहा था कि यह यात्रा केवल मिट्टी और पहाड़ों की नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा है। हर पेड़, पत्थर, किरण उसे उसकी अपनी कहानी सुना रही थी -संघर्ष, प्रेम और उसके बलिदान की।

जब वह गाँव के मुहाने पर पहुंचा तो वहाँ अब कुछ नहीं था न घर, न आंगन और न पुराने चेहरे। बस बचा था तो एक दूर तक पसरता हुआ सन्नाटा। वह मुसकुराया क्योंकि उसे अब किसी मंज़िल की तलाश नहीं थी। वह अपनी यात्रा पूरी कर चुका था। पंचतत्वों से निर्मित यह शरीर अपने मूल रूप में परिवर्तित होने को उद्यत था। क्या पाया, क्या खोया, इसका हिसाब कर पाना अब मुश्किल था। सूरज ढलने लगा और उसी के साथ ढलने लगी जीवन की शाम, मिट्टी का बना यह शरीर, धीरे-धीरे मिट्टी में मिल गया - तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा? जैसे जीवन की किताब का आख़िरी पन्ना बंद हो गया हो लेकिन उसकी आत्मा अब भी उस सुनहरी राह पर थी जहां से हर नया सवेरा शुरू होता है।

-प्रबंधक
आंचलिक कार्यालय देहरादून

कार्टून कोना

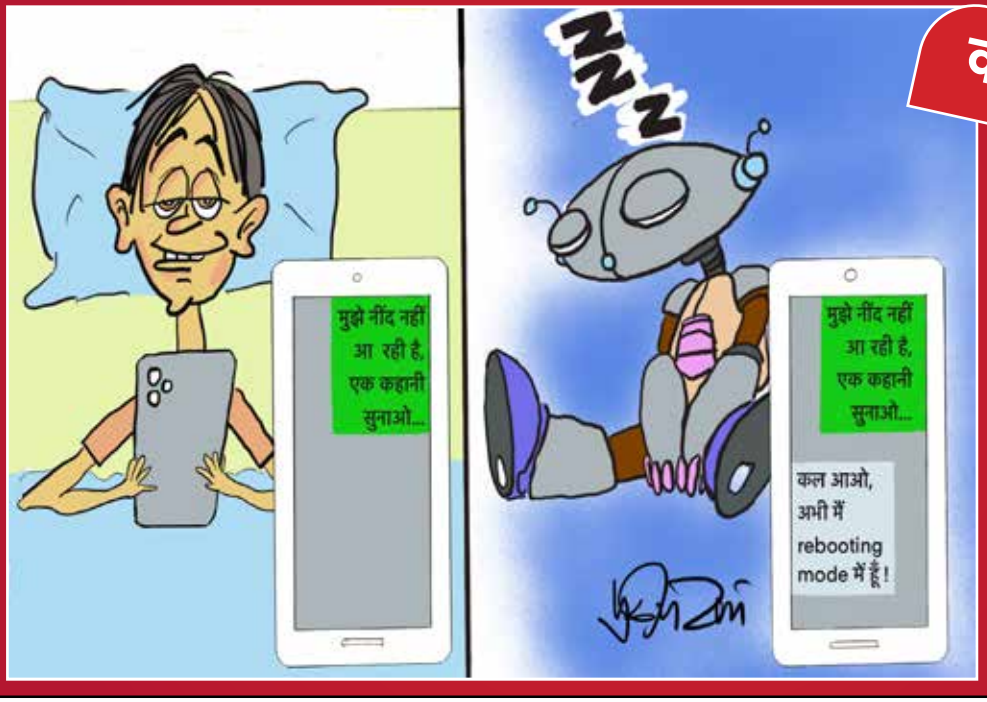

प्रदीप कुमार रॉय
सेवानिवृत्त मुख्य प्रबंधक
पंजाब एण्ड सिंध बैंक

आचंलिक कार्यालयों में हिंदी पखवाड़ा 2025 का आयोजन

आंचलिक कार्यालय आगरा

आंचलिक कार्यालय फरीदकोट

आंचलिक कार्यालय देहरादून

आंचलिक कार्यालय पंचकूला

आंचलिक कार्यालय पटना

आंचलिक कार्यालय लखनऊ

आंचलिक कार्यालय दिल्ली-1

आंचलिक कार्यालय पटियाला

आचंलिक कार्यालयों में हिंदी पखवाड़ा 2025 का आयोजन

आंचलिक कार्यालय बरेली

आंचलिक कार्यालय दिल्ली-2

आंचलिक कार्यालय भोपाल

आंचलिक कार्यालय लुधियाना

आंचलिक कार्यालय गुरुग्राम

आंचलिक कार्यालय कोलकाता

स्टाफ प्रशिक्षण केंद्र, रोहिणी, दिल्ली

आंचलिक कार्यालय होशियारपुर

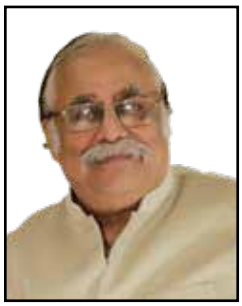

वृद्धावस्था

वी. एस. मिश्रा

मानव जीवन के चार चरण शैशव, किशोरावस्था, यौवन एवं वृद्धावस्था में अंतिम चरण का विशेष महत्व है क्योंकि अन्य तीन चरणों में उम्मीद और उत्साह के साथ भविष्य की उपलब्धियों के लिए प्रयास प्रधान होता है जबकि वृद्धावस्था में भविष्य की कामनाओं की जगह अतीत की स्मृतियों में लीन रहने की प्रवृत्ति ही प्रमुख हो जाती है। चिकित्सक की दृष्टि से शारीरिक अक्षमताएं इस काल में शैथिल्य का कारण होती हैं और शायद इसीलिए कुछ कर गुजरने की जगह किए हुए पर अधिक ध्यान जाता है। आँखें कमज़ोर, थके हुए कदम, चेहरे पर झुर्रियां और झुका हुआ शरीर तथा सोच में तारतम्य का अभाव वृद्धावस्था की सर्व सुलभ पहचान है। आगे समय कम है, का भाव जिजीविषा का क्षरण करता रहता है इसीलिए हमारे मनीषियों ने संन्यास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कि व्यक्ति, सक्रिय जीवन से विमुख हो जाए लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते ही हैं और वृद्धावस्था इसका अपवाद नहीं है। एक ओर शारीरिक अक्षमता तो दूसरी ओर अनुभव का विशाल भंडार। विभिन्न परिस्थितियों से, चुनौतियों से परिपूर्ण कालखंड को बिताकर उम्र की इस दहलीज पर पहुंचे वृद्ध व्यक्ति के पास जीवन से जुड़े समस्याओं का बेजोड़ उपाय उपलब्ध होता है जो समाज में उनकी प्रासंगिकता बनाए रखता है।

सत्य यह है कि जीवन का ऐसा कालखंड जब आपके अपने, जिनके लिए आपने अपना यौवन, इच्छा और देखा जाये तो सर्वस्व न्यौछावर किया, वह अपनी जिंदगी में व्यस्त आपसे दूर हो चुके होते हैं। कभी शारीरिक रूप से तो कभी मानसिक रूप से यह दूरी बढ़ती जाती है। जीवन में एकांत का महत्व बढ़ जाता है पर "माया मरी न मन मरा, मर-मर गए शरीर" की तर्ज पर अभी भी अपेक्षा बनी रहती है।

जिसका बचपन अनुशासित होगा, उसी का यौवन उत्साहपूर्ण होगा क्योंकि बचपन से की गई तैयारी ही व्यक्ति को सुखी जीवन जीने के लिए सक्षम बनाती है। ठीक उसी प्रकार यौवन में वृद्धावस्था की तैयारी उस अवस्था के सुख की बीमा है।

मुझ से सलाह लिया जाए, जीवन के निर्णय में हमारे अनुभव का लाभ उठाया जाए परंतु समय बदल चुका होता है, प्राथमिकताएं बदल चुकी होती है और वृद्धावस्था में अकेले अपने आपको ही देखना, अपने से ही बात करने की विवशता के साथ जीने की बाध्यता। यदि किसी प्रकार की अपेक्षा ही न रखी जाए तो स्थिति में परिवर्तन हो सकता है। सही है कि चेहरे की लाली और स्निग्धता लुप्त हो चुकी है, सिर पर केश राशि का अभाव हो चुका है, कलेवर का तनाव समाप्त हो चुका है किंतु मन की शांति, अनुभव का पिटारा और अतीत के कृत्य का गौरव क्षीण नहीं हो सकता।

कहा गया है कि गौतम बुद्ध ने ज़रा, रोग और मृत्यु से साक्षात्कार के उपरांत ही बुद्धत्व के लिए गृह त्यागी तपस्वी बनने का संकल्प लिया क्योंकि यह तीनों स्थितियां मनुष्य के जीवन में दुःख की परिस्थिति है और शाश्वत सत्य भी कि मनुष्य को इन स्थितियों से गुजरना ही होगा। क्या यह मान लेना उचित होगा कि वृद्ध होना अभिशाप है और अगर ऐसा है तो मनुष्य दीर्घजीवी होने की कामना ही क्यों करता

है? आशीर्वाद के लिए 'दीर्घजीवी भवः' क्यों कहता है? दीर्घजीवी होने की कामना के पीछे का सत्य है कि एक बार पृथ्वी पर आकर संसार से जुड़ जाने के बाद सांसारिकता में लिप्त रहने की इच्छा से ही दीर्घ जीवन की कामना पैदा होती है। लंबे जीवन की इस प्रार्थना के साथ अर्थपूर्ण जीवन की कामना भी आवश्यक है ताकि जीवन के किसी भी काल में उपयोगिता समाप्त न हो। निहित भाव है कि जिस प्रकार बचपन में पढ़ना-लिखना, सृजनात्मक होना आदि यौवन के लिए तैयारी की तरह है जिससे आदमी पुरुषार्थ के 'अर्थ और काम पक्ष' को निरापद ढंग से प्राप्त कर सकें, उसी प्रकार यौवन काल में ही वृद्धावस्था की तैयारी की जाए तो वृद्धावस्था भी बोझ नहीं प्रतीत होगा बल्कि जीवन के अनुभव के आधार पर वह समाज का मार्गदर्शन भी कर सकेगा, समाज में उपयोगिता बनी रहेगी और फिर जिजीविषा भी बढ़ेगी।

यदि तैयारी अच्छी रही हो तो बुढ़ापा बोझ नहीं वरन एक नूतन अवसर जैसा लगेगा क्योंकि भारत में किसी वृद्ध व्यक्ति को विवेकशील होने के लिए किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं होती, बस उम्र ही काफी है। हां, यह संभव है कि नमस्ते, प्रणाम का बोझ अधिक हो जाए जो एक अलमस्त वृद्ध को गंभीरता की चादर ओढ़ने के लिए विवश कर दे। यह भी कि जो कुछ अतीत में नहीं किया और उसकी असंतुष्टि व्यक्ति को स्थापित सामाजिक मानकों के विपरीत आचरण करने के लिए बाध्य कर दे। कुछ वृद्ध ऐसे भी होते हैं जो आदर पाने के लिए उपदेशक के अवतार में आ जाते हैं। जैसी तैयारी, वैसा अनुभव और वैसी ही सामाजिक भूमिका।

प्रत्यक्षतः यदि आप किसी जवान व्यक्ति को वृद्धावस्था की तैयारी का उपदेश देंगे तो वह आपका उपहास उड़ाएगा क्योंकि वह वर्तमान को अधिक महत्वपूर्ण समझता है। उसके लिए जीवन का अर्थ है खुल कर जीना, निर्बाध, निर्द्वंद्व। कल की चिंता उसके लिए बेमानी है। अब इसी भले मानस से पूछिए कि अगर वह बचपन में अपनी प्राथमिकताएं भुलाकर उस समय की इच्छा-पूर्ति में व्यस्त हो जाता तो क्या तरुण अवस्था में इस योग्य भी हो पाता कि अपनी इच्छा-पूर्ति कर सकता, कदापि नहीं। जिसका बचपन अनुशासित होगा, उसी का यौवन उत्साहपूर्ण होगा क्योंकि बचपन से की गई तैयारी ही व्यक्ति को सुखी जीवन जीने के लिए सक्षम बनाती है। ठीक उसी प्रकार यौवन में वृद्धावस्था की तैयारी उस अवस्था के सुख की

बीमा है। अपने आपको अनुशासित, नियमित रखकर व्यक्ति अपने आपको बुढ़ापे के सुख के लिए तैयार कर लेगा। जो युवक हैं वह भी कल वृद्ध होंगे और जो उम्र की ऊंची ढलान पर हैं, उनके लिए यह अवस्था दूर नहीं है। उम्र के अगले पड़ाव पर अगर यही स्वच्छंदता इच्छित है तो एक तैयारी के रूप में यह विषय सही प्रतीत होगा क्योंकि तैयारी पूर्ण न हो तो विचारों में विकार उत्पन्न होगा जो सर्वथा उचित नहीं होगा।

अब प्रश्न यह है कि वृद्धावस्था की तैयारी किस प्रकार की जाए? विकट है क्योंकि यौवन में इतनी सारी इच्छाएं होती है कि उन्हीं की पूर्णता के लिए समस्त ऊर्जा लग जाती है और उस समय बुढ़ापा की चिंता क्यों की जाए? किसी गीत में कहा गया है कि "जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया"। यहां सोने का तात्पर्य यह लगाया जा सकता है कि वृद्धावस्था की सर्वज्ञता के बावजूद अपने प्रमोद या प्रमाद में उसके लिए लिए तैयारी नहीं करना। तैयारी के विभिन्न आयाम हैं और सर्वप्रथम उसके विषय में कहा गया है "पहला सुख निरोगी काया"। निरोग रहने का सिद्धांत है नियमित दिनचर्या, सुपाच्य भोजन और शारीरिक परिश्रम के साथ मानसिक आरोग्य के लिए योग-ध्यान इत्यादि। दूसरी अनिवार्यता है कि थोड़ी बहुत बचत द्वारा वृद्धावस्था के लिए आर्थिक आजादी और आत्मनिर्भरता की गारंटी।

एक सौ वर्ष की आयु में भी समय अल्प है, का भाव होता है और तीस वर्ष की आयु में भी समय की अल्पता होती ही है इसीलिए तैयारी का अगला प्रयास समय प्रबंधन का प्रयास होना चाहिए। समय प्रबंधन का तात्पर्य है कि उम्र कोई भी हो, व्यस्त रहना जरूरी है क्योंकि व्यस्तता ही जीवन की एकरसता को समाप्त करेगी और नित नए

भाव के साथ जीवन को गति भी मिलेगी। फिर भाव के स्तर पर बचपन, युवावस्था और वृद्धावस्था में कोई भेद नहीं रहेगा। शरीर शिथिल तभी होता है जब काम करने की इच्छा समाप्त होने लगती है। अपने आपको व्यस्त रखना जीवंतता का संवर्धन करने जैसा है।

एक मित्र की शिकायत है कि अवकाश ग्रहण के पश्चात दिनचर्या, भोजन और शयन तक सीमित हो गया है, शेष अवधि माननीय मोबाइल में झांकते रहते हैं। अब इस काहिल स्थिति के कारण परिवार में भी उनके लिए आदर कम हो रहा है, किसी काम के नहीं रहे। उनकी शिकायत सुनकर मैंने पूछा, यौवन के दिनों में विवाह के बाद क्या भोजन तैयार करने में या घर की सफाई-सज्जा के लिए अपनी स्त्री को सहयोग दिया था। तपाक से बोले 'अरे भले इंसान मैं तो गृहस्थी के हर प्रयत्न में पत्नी को भरपूर सहयोग देता था। दफ्तर से बचे समय का उपभोग ऐसे ही करता था।' मैंने पूछा कि क्या तुम्हारे घर अब गृहस्थी के कार्य नहीं होते। बेचारे झेंपकर बोले, 'अब इस अवस्था में ये चोचले जैसा लगता है। घर में इतने लोग हैं, मुझको क्या करने की जरूरत है।' भाई काम नहीं है, इसकी शिकायत भी आप करो, काम करने में झिझक भी आपकी, यही विवशता है बढ़ती उम्र के साथ। जब वह स्वयं सजावटी सामान बनने में रुचि रखते हैं, क्या किया जा सकता है। मैंने समझाया कि जैसे पहले रसोई के काम में, गृहस्थी के दूसरे काम में व्यस्त रहते थे, बिना किसी अपवाद के वही कीजिए। थोड़ी आलोचना, उलाहना सह लेना। उन्होंने इस गुरु मंत्र का अनुपालन किया और कुछ दिनों के बाद बदले-बदले प्रतीत हो रहे थे, खुश थे, चमक रहे थे। आशय है कि यदि व्यक्ति स्वयं

को वृद्ध मानकर निःशक्तता को स्वीकार न करें तो चौथे पन में भी जीवन का आनंद बना रहेगा। इसीलिए आवश्यक है कि उम्र को एक संख्या समझा जाए और अपने दैनंदिन को चलते रहना दिया जाए तो वृद्धावस्था और अन्य जीवन के चरण में कोई अंतर नहीं रहेगा।

रेल की पटरियों पर गौर कीजिए, समानांतर कभी नहीं मिलने जैसी, उसके छोटे-छोटे अंश पर विचार कीजिए तो वह भी इतना भारी और सशक्त नहीं होता परंतु टनों भारी रेलगाड़ी और बैठे यात्रियों के वजन को पूरी दृढ़ता से संभालता है, स्वयं मिले या न मिले, हर यात्री को अपने प्रियजन से मिलवाता अवश्य है। पटरियों के पार मीलों लहलहाते खेत और धरती से उगलते स्वर्ण अन्न दिखते हैं। इन सबकी पृष्ठभूमि में उनकी सहनशीलता और अनुभव ही उनकी शक्ति का आधार होता है। वृद्ध व्यक्ति के पास भी ये सहनशीलता और अनुभव का पिटारा जो दीर्घ जीवन का प्रसाद ही है, कूट-कूटकर भरा होता है, जिसने अपने बच्चों के रूप में अपनी जीवनी शक्ति को मूर्त किया, पाला-पोसा और जीवन संग्राम के लिए तैयार किया, वह और कुछ हो या न हो, निरीह तो कदापि नहीं हो सकता। शारीरिक ऊर्जा के क्षय के बाद भी अपनी मानसिक दृढ़ता से अगली पीढ़ी को अपने मंजिल, गंतव्य तक ले जा सकता है और माँ धरती से अपनी संतति के लिए वरदान मांग सकता है।

एक कहानी में पुराने मुनीम मटरूमल को एक व्यापारी उनकी उम्र के कारण हटा देता है। तभी व्यापारी के सामने कोई पुरानी हुंडी लेकर एक लेनदार खड़ा हो जाता है। पैसे के अभाव में इस विपत्ति से निवृत्ति के लिए पुराने मुनीम जी को बुलाता है कि वह थोड़ी सी मोहलत दिला देता तो पैसे चुकाने का समय मिल जाता और व्यापार की प्रतिष्ठा बच जाती। बूढ़े मुनीम ने कहा कि वह बूढ़ा है, ठंड लग रही है, एक अलावा आ जाता तो अच्छा होता, आनन-फानन में अलाव आ गया। हरकारे से हुंडी लेकर पढ़ने की कोशिश में हुंडी उसके हाथ से छूट गया और अलाव में गिर कर जल गया। मुनीम ने क्षमा मांगते हुए कहा, बेटा बूढ़ा हूं, हाथ कांपते हैं, गिर गया, अब इस हुंडी की प्रतिलिपि लेकर आओ, पैसे चुकता हो जाएंगे। इससे व्यापारी को समय मिल गया। कथ्य यह है कि किस तरह अनुभव के आधार पर अपनी शारीरिक अवशता को एक वृद्ध व्यक्ति ने समस्या के निराकरण के लिए प्रयुक्त कर लिया। यही ताकत है एक वृद्ध अनुभवी आदमी की।

वृद्धावस्था का शारीरिक स्वरूप चाहे जैसा हो, ज्यादातर यह एक मानसिक अवस्था है जब जान-बूझकर व्यक्ति अपने निर्णय के लिए दूसरों पर आश्रित होने लगता है। मात्र विचारों के स्तर पर नहीं, उसका खान-पान, उसकी दिनचर्या, उसके छोटे-बड़े काम इत्यादि धीरे-धीरे उसके निर्णय क्षेत्र से बाहर निकल जाते हैं और फिर यह अवस्था, व्यथा बन जाती है। एक स्थिति, ऐसा सत्य जो सबके जीवन में घटित होना है और जिसे अमूमन एक अवांछनीय सत्य के तौर पर अनमने मन से स्वीकार किया जाता है, को संपूर्ण तैयारी और आदर के साथ न केवल स्वीकारा जाए बल्कि जीवन के इस वैभवशाली चरण को उन्मुक्त भाव से जीया जाए। जीवन के इस चरण में न तो जोश का अभाव हो और न ही उन्मुक्तता का।

"तू ज़िन्दा है तो ज़िन्दगी की जीत में यकीन कर,
अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर।"

जीवन का हर पल खुशनुमा बनाने के लिए खुश रहना सीखिए। खुशी भी वह जो आत्मिक हो, थोड़ी स्वार्थी हो, परस्पर भी हो क्योंकि अमूल्य जीवन के समस्त चरण की अपनी विशिष्टता होती है। सर्वप्रथम तो ईश्वर को धन्यवाद दिया जाना चाहिए कि इतने दिनों, वर्षों तक संसार का आनंद दिया अथवा कितने हैं जो वरिष्ठ नागरिक होने के गौरव के पूर्व ही काल कवलित हो गए। ईश्वर के प्रच्छन्न संदेश को भी समझें कि अगर भगवान ने आयु का वरदान दिया है तो निश्चित तौर पर उसकी उपयोगिता भी तय होगी। बूढ़ा होना एक प्राकृतिक क्रिया है, होना ही है पर अपने आपको बूढ़ा समझकर जीना व्यक्ति की अपनी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। इतिहास में सैकड़ों दृष्टांत है जब पकी उम्र के लोगों ने बड़े-बड़े काम किए, देश की बागडोर संभाली, शक्तिशाली देशों को चुनौती दी। वैसे तो आज के जीवन में केश राशि की धवलता अथवा विरलता मात्र वृद्धजन तक सीमित नहीं है, किसी भी उम्र में ऐसा हो सकता है किंतु एक सत्य अवश्य है कि बुढ़ापे में पके बाल की जड़ में जीवन का सारांश होता है जिसमें अपने लिए गौरव तो दूसरे के लिए पथ-प्रदर्शन का भाव विद्यमान रहता है।

-सेवानिवृत्त वरिष्ठ प्रबंधक
पंजाब एण्ड सिंध बैंक

नींद

रात के एक बजे है,
घर में सभी जाग रहे हैं।

कारण लिखा था
दादाजी इसलिए जाग रहे हैं कि
उनका बेटा दफ़्तर से अब तक नहीं लौटा।
दादी माँ इसलिए जाग रही हैं कि
बेटे के सर पर हाथ फेरे बिना
उनको नींद नहीं आती।

पिताजी इसलिए जाग रहे हैं कि
दफ़्तर का काम अब तक ख़त्म नहीं हुआ।
माँ इसलिए जाग रही हैं कि
पिताजी की चिंता उन्हें सोने देती नहीं।

बच्चे इसलिए जाग रहे हैं कि
घर की गरीबी मिट जाए
ऐसा कुछ अब तक किया नहीं गया।
और सब आस लगाते हैं
एक चैन की नींद की
जो मृत्यु से पहले कभी मिलती नहीं
कभी मिलती नहीं।

डॉली
ग्राहक सेवा प्रतिनिधि
जंगपुरा एक्सटेंसन, दिल्ली

संसदीय राजभाषा समिति का दिल्ली दौरा

संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप समिति ने अगस्त, 2025 माह में अपने दिल्ली दौरे के दौरान 22 अगस्त, 2025 को बैंक के आंचलिक कार्यालय नोएडा का राजभाषा संबंधी निरीक्षण किया। माननीय समिति सदस्यों में श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, श्री नीरज डाँगी, श्री सतीश कुमार गौतम, श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकर, श्रीमती संगीता यादव, डॉ. धर्मशीला गुप्ता और श्री ईरण्ण कड़ाड़ी उपस्थित रहे।

निरीक्षण कार्यक्रम में वित्तीय सेवाएं विभाग की ओर से आर्थिक सलाहकार डॉ. अभिजीत फुकन, उप निदेशक (राजभाषा) श्री धर्मबीर तथा बैंक की ओर से उप महाप्रबंधक श्री सुरेन्द्र कुमार, आंचलिक प्रबंधक नोएडा श्री महेश सभरवाल, मुख्य प्रबंधक (राजभाषा) श्री निखिल शर्मा और आंचलिक कार्यालय नोएडा में पदस्थ मुख्य प्रबंधक श्री गजेन्द्र कोठारी ने सहभागिता की।

इस सुअवसर पर माननीय सदस्यों के कर कमलों से बैंक की हिंदी तिमाही पत्रिका राजभाषा अंकुर के जून, 2025 अंक का विमोचन किया गया।

काव्य-मंजूषा

सत्य की राह का मुसाफ़िर

इस झूठ से भरे संसार में,
तुम अपनी सच्चाई मत खोना।
चाहे कितनी भी आँधी तूफान आए,
तुम अपने रास्ते से मत हिलना।।

बहुत लोग मिलेंगे तुम्हें दुनिया में,
जो झूठ का मुखौटा लिए घूमते हैं।
पर तुम अपनी सच्चाई का,
आईना कभी मत छोड़ना।।

जिंदगी के सफर में कुछ ऐसे दोराहे भी आएंगे,
झूठ के छलावे तुम्हें अपनी ओर लुभाएंगे।
पर तुम अपने अंदर के प्रकाश से उन छलावों को छल लेना,
चुनकर सही रास्ता अपने सपनों को बल देना।।

सच्चाई के रास्ते पर चलकर ही,
तुम्हें अपनी मंज़िल मिलेगी।
तुम्हारे अंदर की लौ भी,
सच्चाई के दीये से ही जलेगी।।

उस लौ को तुम जगाए रखना,
अपने अंदर के प्रकाश से।
अपनी और औरों की राहों में,
प्रकाश बनाए रखना।।

इस झूठ से भरे संसार में,
तुम अपनी सच्चाई मत खोना,
चाहे कितनी भी आँधी तूफान आए,
तुम अपने रास्ते से मत हिलना

- सी. ए. मिनाक्षी शर्मा
वरिष्ठ प्रबंधक
क्षेत्र महाप्रबंधक कार्यालय चंडीगढ़

मेरा सफ़र

सोचते हुए आता-जाता हूं घर
कैसे हो मेरा बैंक और भी बेहतर,

तकनीक है, किफायती और आधुनिक
फिर भी अभी आना बाकी है वो स्तर,

लाखो हैं, और भी होंगी कठिनाइयां
कभी-कभी सोचकर लगता है डर,

टीम हैं प्रतिभाशाली और बेहद काबिल
कमी नहीं है कैसी भी कोई भी किधर,

जुड़ना है सबसे, रहना है मिलकर
मुमकिन है तभी सफलता होगी इस कदर,

कोई भी उपभोक्ता कभी जाने ना पाए
खाता बिना खोले अपने घर,

आगे जाना है, मंज़िल है बहुत दूर
ऐसी है हमारी चील जैसी तेज़ नज़र,

तीर रहे निशाने पर हमेशा इस कदर
हर वक़्त दिखता रहे हमें अपना शिखर,

तभी आगे जाएगा हमारा अपना बैंक
पहुंचना है आकाश से भी ऊंची ऊंचाइयों पर,

ऐसा है मेरा सफर
घर से बैंक और बैंक से घर।

- दीपक कुमार
सहायक महाप्रबंधक
प्रधान कार्यालय डिजिटल बैंकिंग विभाग

काव्य-मंजूषा

ट्रेनिंग

सुनने में आया है कि हमारी ट्रेनिंग आई है,
हम भी चल दिए घर से कि हमारी ट्रेनिंग आई है।
5-6 दिन की छुट्टी हो जाएगी और थोड़ा सा काम भी सीख जाएंगे,
मन में आस लिए निकल पड़े मंजिल पे।।

पर इस बार पहले की तरह क्लास में बैठे नहीं रहेंगे,
आस पास देखेंगे या खुद को आंकेंगे।
चल पड़े अकेले उस लाइब्रेरी में,
जहां मुझे आकर्षित किया अमृता प्रीतम की किताब ने।।

यात्री! हां हम सभी यात्री ही तो है,
जो यात्रा करते-करते यहां पहुंचे।
किसी ने नदिया पार की तो किसी ने झरने,
पर आखिरकार पहुंच ही गए या मंजिल ने हमें खोजा है।।

सुबह की वो योगा क्लास और सात बजे उठाना,
पंद्रह मिनट की चाय और दोपहर का खाना।
रात का खाना किसी को न भाया,
पर ये बात बस कुछ लोगों ने ही जतलाया।।

पास में ही स्विमिंग पूल है, जहां करते सब कूल-कूल है
मेडिटेशन हॉल में जाके आप ध्यान केंद्रित करते है।
जो करते है क्यों करते है जो होता है क्यों होता है,
छोड़ो बेकार की बातों को, इन बातों से क्या होना है।।

और देखो गोलगप्पे के बगैर तो जिंदगी अधूरी सी है
उसी को पूरा करने के लिए बाई ओर चल दिए थे।
इस बार घर आते वक्त ये अफसोस नहीं रहा मन में,
जो करना चाहते थे, बस कर डाला इन 5-6 दिन में।।

-गुरलीन कौर
अधिकारी
कमाम शाखा, होशियारपुर

राही तू चलते जाना

दुर्गम पथ पर जाने वाले, जीवन-स्वप्न सजाने वाले
मानवता के पथ-प्रदर्शक, गीत प्रेम के गाने वाले
राही तू चलते जाना।

पुष्प मिलें केवल राहों में, ऐसी राह नहीं है जग में
लक्ष्य नहीं मिलते बिन बाधा, कंटक चुभे बिना ही पग में
शूल चुभें तो उन्हे हटाकर, घावों को मलते जाना
राही तू चलते जाना।

कट जाती है राह कठिन भी, साथी जो हो साथ तुम्हारे
मुश्किल तूफाँ भी कट जाए, माझी की पतवार सहारे
साथी ना हो साथ तुम्हारे, फिर भी राह संभलते जाना
राही तू चलते जाना।

आलोकित हो मार्ग तुम्हारा, संभव नहीं सदा जीवन में
अंधकार भी अटल सत्य है, धारण करो सत्य ये मन में
तिमिर अगर फैला हो पथ पर, दीपक बन जलते जाना
राही तू चलते जाना।

ठोकर खाकर अगर गिर पड़ो, हार नहीं रुक जाना तुम
सतत चला जो हुआ वो सफल, लक्ष्य नहीं विसराना तुम
करो लक्ष्य-संधान चलो तुम, जड़ता को छलते जाना
राही तू चलते जाना।

-सुदेश कुमार
ग्राहक सेवा प्रतिनिधि
आंचलिक कार्यालय दिल्ली-2

बैंक में ग्राहक सेवा प्रतिनिधि की भूमिका, जिम्मेदारी और जवाबदेही

सतविंदर सिंह

कार्मिकों का संगठन में उनकी भूमिका, जिम्मेदारियां और जवाबदेही की अज्ञानता कार्यक्षमता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है। साथ ही उन्हें अनचाही तनाव युक्त/ दुख:दाई स्थिति में ला खड़ा करती है। भारतीय बैंकिंग प्रणाली दशकों से देश की आर्थिक प्रगति का एक आधार स्तंभ है जिसमें उसके कर्मचारियों व अधिकारियों का योगदान होता है। बैंक में एक महत्वपूर्ण स्थान लिपिक (क्लर्क) या डेस्क एक्ज़ीक्यूटिव या ग्राहक सेवा प्रतिनिधि (यह नाम पद्धति 01.04.2024 से 12वें द्विपक्षीय समझौता के अंतर्गत हुआ है) का होता है। लेख में इन्हें "लिपिक/क्लर्क" संबोधित किया गया है। ये फ्रंट लाइन कर्मचारी प्रतिदिन लाखों ग्राहकों से सीधे संवाद करते हैं। बैंकिंग सेवा के परिचालन में महत्वपूर्ण योगदान देते हुए राष्ट्र के आर्थिक विकास में सहायक सिद्ध होते हैं।

वर्तमान बैंकिंग में कई डिजिटल आधारित तकनीकी बदलाव आ रहें हैं जिसके कारण यूपीआई, नेट बैंकिंग और मोबाइल ऐप्स में तकनीकी दक्षता, नई फिनटेक तकनीकों को सीखना, उन्हें ग्राहकों के लिए सुलभ बनाना, बहु-कार्य कुशल (मल्टी टास्किंग), आईटी, प्रशासन और डेटा एंट्री में दक्ष होना आवश्यक है। अपनी जिम्मेदारियों, जवाबदेही का ज्ञान होना भी अनिवार्य है जो न केवल इनकी कार्य क्षमता बढ़ायेगा बल्कि त्रुटियों के स्तर को और उनसे होने वाले नुक़सान (आर्थिक व कस्टमर सर्विस संबंधी) को कम करने में सहायक होगा। यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि क्लर्क का कार्य सिर्फ दैनिक डेस्क गतिविधियों तक सीमित नहीं है बल्कि उनकी बहु-परत जिम्मेदारियां हैं। 12वें द्विपक्षीय समझौता के अंतर्गत बैंक के सामान्य लिपिकों द्वारा किए जाने वाले कार्यों की सूची निर्धारित है। **इनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं:**

- बैंकिंग से संबंधित कार्यों/समस्याओं का ग्राहक की संतुष्टि अनुसार निपटारा करना।
- ग्राहकों से ₹50,000 तक की नकद जमा या भुगतान, ₹100000 तक के क्लीयरिंग/ट्रांसफर वाउचर स्वतंत्र रूप से पास करना और उससे अधिक राशि (₹100001 से ₹400000 तक) के मामलों में निर्धारित वरिष्ठ या विशेष कस्टमर सर्विस असिस्टेंट के साथ संयुक्त रूप से पासिंग करना।
- नकदी विभाग या करेंसी चेस्ट में नकदी की पुनर्गणना करना और समर्पित नकदी काउंटर पर बिना किसी राशि सीमा के नकदी का लेन-देन करना।
- खाता खोलने संबंधित फॉर्म, पर्यवेक्षी (सुपरवाइजरी) स्टाफ द्वारा सत्यापित व अनुमत उपरांत सभी ब्यौरा (आधार कार्ड व पैन कार्ड के साथ) की सिस्टम मे एंट्री करना।

- केवाईसी/ ई-केवाईसी/ री-केवाईसी/ सी-केवाईसी से संबंधित जानकारी ग्राहक से साझा करना।
- सिस्टम में ग्राहक के स्थायी अनुदेश/ स्टॉप पेमेंट निर्देश/ पॉजिटिव-पे पत्र को प्रविष्ट करना तथा पर्यवेक्षी स्टाफ को प्रमाणीकरण/ अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करना।
- चेकबुक/डेबिट कार्ड ब्यौरे को रजिस्टर मे दर्ज करना, ग्राहक से पावती लेकर चेक बुक/ डेबिट कार्ड बाटना।
- ग्राहको के हस्ताक्षरों की स्कैनिंग व सिस्टम मे कैप्चर करना।
- सावधि जमा (FD) के नवीनीकरण/परिपक्वता तिथि तथा लॉकर किराया/ नवीनीकरण शुल्क इत्यादि के विषय में ग्राहक को सूचित करना।
- लेखापरीक्षा विभाग में रिपोर्टें बनाने, संबंधित पत्राचार मे आंतरिक लेखा परीक्षक की सहायता करना।
- पेंशनभोगी के जीवन प्रमाण-पत्र को सिस्टम में फीड करना।
- जिस क्लर्क के पास अपेक्षित अनुभव/ प्रमाणीकरण (सर्टिफिकेशन) होगा उसे टेलीफोन ऑपरेटर का काम दिया/ कराया जा सकता है।
- क्लर्क, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (NEFT) और तत्काल सकल निपटान (RTGS) के अंतर्गत विप्रेषण का विवरण दर्ज कर सकते हैं लेकिन उसका अनुमोदन और उत्तरदायित्व पर्यवेक्षी स्टाफ का होगा।

ऋण विभाग मे कार्यरत क्लर्क को ऋण अधिकारी की सहायता करनी होगी। ग्राहक को पत्र लिखकर अतिदेय किस्त की सूचना देना तथा खाते को नियमित कराने के लिए संपर्क करना होगा। संबंधित ऋण दस्तावेज़ों को सिस्टम में फीड करने मे पर्यवेक्षी स्टाफ की सहायता करना। इनका ग्रामीण विकास/ कृषि ऋण विभाग में अधिकारियों के सहायक के तौर पर उपयोग किया जा सकता है। क्लर्क का उपयोग ऋण वसूली कार्य में अधिकारी की सहायता करने/ साथ जाने के लिए किया जा सकता है, बशर्ते आने-जाने का भत्ता/ अन्य व्यक्तिगत खर्चे/ यदि देय हो तो ओवर-टाइम वेतन की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

क्लर्क का उपयोग नए व्यवसाय की प्राप्ति/ विपणन (मार्केटिंग), कार्यालय समय के भीतर बिना किसी निर्धारित लक्ष्य के किया जा सकता है, इसके लिए उन्हें दिशानिर्देश तथा सुविधाएं प्रदान की जा सकती हैं, जैसे कि आने-जाने के खर्च की प्रतिपूर्ति/ पेट्रोल खर्च, अन्य व्यक्तिगत खर्च, प्रतिमाह निर्धारित सीमा तक मोबाइल फोन बिल, भोजन व्यय, आतिथ्य व्यय, वाहन पार्किंग शुल्क आदि। इन सभी बातों का निर्णय प्रत्येक बैंक अपने स्तर पर कर सकता है। बैंक, विशेष विपणन कार्य के लिए कर्मचारी चयन हेतु उपयुक्त दिशा-निर्देश तैयार कर सकते हैं जो कि निर्धारित मापदंडों, उपयुक्तता, उत्पाद ज्ञान, अभिरुचि, विपणन में विशेष योग्यता आदि पर आधारित हों।

फॉरेक्स विभाग में क्लर्क को इन-वर्ड/ आउट-वर्ड रेमिटेंस, निर्यात बिलों की प्राप्ति, आयात/निर्यात बिलों के लेटर ऑफ क्रेडिट की लॉजमेंट/ स्विफ्ट (SWIFT) क्रेडिट प्रविष्टियां और सूचना भेजने जैसे कार्यों में "मेकर" की भूमिका निभाने को कहा जा सकता है। आई.टी. विभाग में बीसीए, बी टेक, एमसीए आदि योग्यता वाले क्लर्कों को क्षेत्रीय संग्रहण केंद्र (आरसीसी) या हेल्प डेस्क द्वारा किए जाने वाले कार्यों जैसे पैच (patch) प्रोग्राम चलाना, हार्डवेयर का रिकॉर्ड रखना आदि कार्य कराए जा सकते हैं। बेंचमार्क दिव्यांगता वाले लिपिकों के लिए बैंक को कार्य आबंटित करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसपीओ)/ दिशा-निर्देश विकसित करने चाहिए।

वरिष्ठ ग्राहक सेवा प्रतिनिधि (नगदी) के कर्तव्य

12वें द्विपक्षीय समझौता के अंतर्गत प्रदान की गई पारित करने की शक्तियों के अतिरिक्त इनके कर्तव्यों में बैंक की नकदी, कैश-की और/ या अन्य कीमती वस्तुओं को एक अधिकारी के साथ संयुक्त रूप से सुरक्षित अभिरक्षा में रखना, उनके लिए उत्तरदायी होना और नकदी विभाग के संचालन की जिम्मेदारी संभालना शामिल है। इसके अतिरिक्त इनके कर्तव्य निम्नलिखित हैं :

1) अधिकतम ₹50,000 तक नकद चेक और इसी प्रकार के अन्य दस्तावेजों को स्वतंत्र रूप से पास करना।
2) अधिकतम ₹1,50,000 तक स्वतंत्र रूप से क्लियरिंग/ ट्रांसफर वाउचर/ अन्य समान दस्तावेज़ों को पास करना।
3) ₹1,50,000 या उससे अधिक किंतु ₹2,50,000 तक के क्लियरिंग और ट्रांसफर वाउचर तथा अन्य समान दस्तावेज़ों को

किसी अन्य क्लर्क के साथ संयुक्त रूप से और ₹4,00,000 तक विशेष सीएसए के साथ संयुक्त रूप से पास करना।

4) विशेष कस्टमर सर्विस एसोसिएट या अधिकारी के साथ संयुक्त रूप से कार्यालय समय के दौरान ऑन-साइट एटीएम/ कैश रीसायकल या अन्य समान मशीनों में नकदी भरना।
5) स्थानीय भाषा में किए गए हस्ताक्षरों/अनुशंसाओं का सत्यापन करना।
6) चेक/ ड्राफ्ट (स्वयं पर या संबंधित शाखाओं पर)/ भुगतान आदेश/ जमा रसीद आदि पर सह-हस्ताक्षर करना।
7) बिलों, चेकों आदि को डिस्चार्ज/एंडोर्स करना।
8) ग्राहकों से नकद प्राप्त करना और उन्हें नकद भुगतान करना। विशेष रूप से समर्पित नकदी काउंटरों पर ग्राहक से नकद प्राप्त करने और उन्हें नकद भुगतान करने की कोई सीमा नहीं होगी।

विशेष ग्राहक सेवा प्रतिनिधि (एससीएसए) के कर्तव्य - विशेष वेतन वाले विशेष कस्टमर सर्विस एसोसिएट पद हेतु कर्मचारियों का चयन, उनके उस विशेष कार्य के लिए उपयुक्त होने के आधार पर किया जाएगा जिसका निर्णय बैंक स्तर पर लिया जाएगा। एससीएसए, क्लर्क के कर्तव्यों के अतिरिक्त विभाग के संचालन, क्लर्क और कार्यालय सहायक के कार्य की देख रेख/ जांच के लिए उत्तरदायी और जवाबदेह होंगे। इनके अन्य कर्तव्य निम्नलिखित हैं :

1) ₹100000/- तक के नकद चेक और इसी प्रकार के अन्य दस्तावेजों को स्वतंत्र रूप से पास करना।
2) ₹300000/- तक के क्लियरिंग/ ट्रांसफर वाउचर/ अन्य समान दस्तावेज़ों को स्वतंत्र रूप से पास करना।
3) ₹300000/- या उससे अधिक किंतु ₹450000/- तक के क्लियरिंग और ट्रांसफर वाउचर तथा अन्य समान दस्तावेजों को किसी अन्य कस्टमर सर्विस एसोसिएट या वरिष्ठ सीएसए (कैश) के साथ संयुक्त रूप से पास करना।
4) ₹200000/- तक के नकद प्राप्तियों की स्वीकृति स्वतंत्र रूप से करना।
5) चालू/ बचत/ अन्य खातों की मैन्युअल/ ऑनलाइन जांच करना।
6) चेक/ बिल को डिस्चार्ज/ एंडोर्स करना।

विभाग या सेक्शन के कुशल और प्रभावी संचालन के उद्देश्य से, विशेष ग्राहक सेवा प्रतिनिधि सुनिश्चित करेगा कि सभी कार्य/ क्रियाएं स्वयं उसके या अधीनस्थ क्लर्क के द्वारा समय पर किए जाएं और निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखा जाए:

- पास शीट/ बुक समय पर भरी/ जारी की जाएं।
- जमा राशियों (डिपाजिट) का समय पर नवीनीकरण के लिए ग्राहक को रिमाइंडर भेजा जाए।
- बिल स्वीकार करना/ देय तिथि डायरी में दर्ज करना, उसका अनुसरण करना/ बिल की प्राप्त राशि तुरंत प्राप्त या प्रेषित की जाए।
- ब्याज/कमीशन/सेवा शुल्क की वसूली करना।
- ग्राहकों के खातों की बैलेंस कन्फर्मेशन, उसका फॉलो-अप करना।
- विभाग/सेक्शन संबंधित प्रतिभूतियों (सिक्युरिटीज़) को सुरक्षित/ उचित अभिरक्षा में रखा जाए, दिन के अंत में अधिकृत व्यक्ति को ठीक से सौंपा जाना।
- अधिकृत खातों में प्रविष्टियां/ संबंधित विवरणों के उचित अभिलेखन की जांच करना। निरीक्षण अधिकारियों की उपस्थिति में नकद शेष/ प्रतिभूतियों की गिनती/ बैंक के पास गिरवी प्रतिभूतियों की मात्रा, मूल्य की जांच में सहायता करना।
- स्टेशनरी की जांच करना। वाउचर/ रसीदों पर निशान लगाना।
- शाखा/ उप-शाखा की इंटर-ब्रांच/ इन-ट्रांजिट आइटम्स/ सस्पेंस चार्जेज़/ अन्य जमा/ स्टेशनरी खातों के अतिरिक्त अन्य वाउचर्स की जांच में सहायता करना।

कृपया ध्यान दें कि यदि किसी कर्मचारी को उच्च विशेष वेतन से युक्त कार्य सौंपा गया है तो समय उपलब्ध होने की स्थिति में वह अपने कैडर के नियमित कार्य भी करेंगे। ग्राहक सेवा प्रतिनिधि (सीएसए)/ वरिष्ठ ग्राहक सेवा प्रतिनिधि (एससीएसए) (नगदी)/ विशिष्ट ग्राहक सेवा प्रतिनिधि (एससीएसए) को "पर्यवेक्षी कार्य" (सुपरवाइजरी ड्यूटीज) नहीं माना जाएगा और ये कर्मचारी भले ही उनके वेतन, पदनाम या नामकरण कुछ भी हों, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत 'कामगार' माने जाएंगे।

ज़िम्मेदारियां एवं नैतिक उत्तरदायित्व : भारतीय बैंकिंग नियामक प्रणाली में क्लर्क की भूमिका अत्यधिक जवाबदेही से जुड़ी होती है। इनके नैतिक उत्तरदायित्व इस प्रकार हैं –

- वित्तीय सटीकता और पारदर्शिता, ग्राहकों की धनराशि का निष्पक्ष प्रबंधन।
- गोपनीयता का पालन, ग्राहक की व्यक्तिगत व वित्तीय जानकारी को गोपनीय रखना, गलत उद्देश्य से उसका दुरुपयोग न करना।
- समय का प्रबंधन, सीमित समय में अधिक ग्राहकों को सेवा देना, जिससे बैंक की दक्षता में वृद्धि हो।
- टीम सहयोग, शाखा के अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्यों का त्वरित/ प्रभावशाली निष्पादन।
- ग्राहक, अधिकारियों व सहयोगियों के प्रति विनम्र व्यवहार रखना। अनुशासन और समय की पाबंदी का अनुपालन।

प्रत्येक क्लर्क का मूल्यांकन न सिर्फ कार्य-निष्पादन के आधार पर होता है बल्कि ग्राहक संतुष्टि, त्रुटि रहित सेवा और टीम भावना जैसे पहलुओं पर भी आधारित होता है। उनके कार्य की जवाबदेही किसी भी वित्तीय त्रुटि, नियमों की अवहेलना या ग्राहक के साथ असभ्य व्यवहार पर लागू होती है।

जवाबदेही

1) **नैतिक और व्यावसायिक जवाबदेही :** बैंकिंग सेक्टर में विश्वास सबसे बड़ी पूंजी है। यदि क्लर्क की छवि या आचरण से बैंक की साख को नुकसान पहुंचे तो उस पर निगरानी बढ़ सकती है, सेवा शर्तों में बदलाव हो सकता है। यदि लापरवाही से कैश कम/ ज्यादा हुआ तो जवाबदेह ठहराया जाएगा, ग्राहक से दुर्व्यवहार की शिकायत मिलने पर विभागीय कार्रवाई की जा सकती है और धोखाधड़ी में संलिप्तता होने पर सह-अपराधी माना जाएगा।

2) **प्रशासनिक जवाबदेही :** ड्यूटी में लापरवाही या अनियमितता पर डिसिप्लिनरी कार्रवाई जैसे चेतावनी (वार्निंग), वेतन कटौती, निलंबन (सस्पेंशन), सेवा से हटाना (डिस्मिसल) हो सकता है।

3) **विधिक जवाबदेही :** यदि कोई लिपिक स्टाफ जान-बूझकर फर्जीवाड़ा, गबन या ग्राहक के पैसों की हेरा-फेरी करता है तो उस पर भारतीय न्याय संहिता, पीएमएलए (धन शोधन अधिनियम) आदि के तहत आपराधिक मुकदमा चल सकता है, जेल की सजा और जुर्माना भी हो सकता है।

भारतीय बैंकिंग प्रणाली में क्लर्क/ डेस्क एक्ज़ीक्यूटिव/ ग्राहक सेवा प्रतिनिधि की भूमिका केवल एक सामान्य कर्मचारी की नहीं, बल्कि एक उत्तरदायी और भरोसेमंद प्रतिनिधि की है। वह ना केवल बैंकिंग संचालन में कुशलता लाते हैं बल्कि ग्राहकों का विश्वास बनाए रखने और बैंक की सार्वजनिक छवि को सकारात्मक बनाए रखने में भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं।

-सेवानिवृत्त सहायक महाप्रबंधक
पंजाब एण्ड सिंध बैंक

रचनाकारों से निवेदन

रचनाकारों से निवेदन है कि बैंक के प्रधान कार्यालय राजभाषा विभाग द्वारा प्रकाशित की जा रही तिमाही हिंदी गृह-पत्रिका "राजभाषा अंकुर" में प्रकाशन हेतु लेख भेजते समय लेख के अंत में अपना नाम, शाखा/ कार्यालय का पता, मोबाइल नंबर तथा अपना बैंक खाता संख्या व आईएफएससी कोड अवश्य लिखें। इसके साथ ही लेख के संबंध में मौलिकता प्रमाण-पत्र और अपना फोटो भी उपलब्ध कराएं। सेवानिवृत्त स्टाफ सदस्य उपरोक्त के अतिरिक्त अपने घर का पता तथा स्थायी खाता संख्या (पैन नंबर) का भी उल्लेख करें।

-मुख्य संपादक

மொழி பெயர்ப்பு சில பிரச்சனைகள் மற்றும் சவால்கள்

பி. சண்முகம்

மொழி மாற்றம் என்பது ஒரு எல்லையை கடக்கின்ற அல்லது ஒரு மணமான திரவியத்தை ஒரு கண்ணாடி பேழையில் இருந்து மற்றொரு பேழைக்கு இடம் பெயர்ப்பது என்பதைத் தவிர வேறு ஒன்றுமில்லை என்றும் கூறலாம். பல மொழி வல்லுநர்கள் அவர்கள் தம் எண்ணங்களுக்கு ஏற்ப மொழி பெயர்ப்பு எனும் சொல்லுக்கு பல விளக்கங்களை தந்துள்ளனர். இதைப் பற்றி விரிவாக ஆராய்வோமேயானால் மொழி பெயர்ப்பு என்பது ஒரு விஷயத்தை மூல மொழியிலிருந்து இலக்கு மொழியில் மாற்றி அமைப்பதாகும். இன்னும் எளிதாக சொல்லப்போனால் நம்முடைய ஒரு உடலுக்கு பல வேறு வண்ணங்களைக் கொண்ட ஆடைகளை நமது சூழ்நிலைக்கு ஏற்றவாறு நாம் மாற்றிக் கொள்வது போன்றதே மொழி பெயர்ப்பு. இலக்கியத்தில் ஒவ்வொரு வகையின் மொழியாக்கமும் பல் வேறு விதமான சிக்கலைகளையும் சவால்களையும் எதிர்கொள்கிறது. இந்தியாவின் வரலாற்றை உள்ளடக்கியத்தில் மொழி பெயர்ப்பு மிக முக்கிய பங்காற்றியுள்ளது.சுதந்திர இந்தியாவிற்கு முன்னும் பின்னும் இந்திய கலாச்சாரங்கள் என்கிற பல செங்கற்களால் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட ஒரு தலை சிறந்த நாகரீகத்தின் கட்டிடத்திற்கான ஒரு கலவை போன்ற கருவியாக மொழி பெயர்ப்பு நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தியா போன்ற ஒரு நாட்டிற்கு சமூக, மத மற்றும் இன கலாச்சாரம் மற்றும் மொழியியல் பன்முகத்தன்மை போன்ற பல கோணங்கலைக் கொண்டு வலிமையோடு கூடிய ஒரு தேசிய அடையாளத்தை கையாள்வது என்பது மிகவும் நுட்பமான மற்றும் சவாலான விஷயம். அறிவையும் தகவலையும் விரிவுபடுத்துவது மூலம் சமூகத்தில் மட்டுமல்லாமல் கலாச்சார மாற்றத்திலும் மொழி பெயர்ப்பாளர்கள் எப்போதும் தங்களுடைய முக்கிய பங்கை ஆற்றியுள்ளனர். மொழி பெயர்ப்பானது சில காரணங்களினால் பல விஷயங்களை அந்நியப்படுத்துவது போல் தோன்றினாலும் பல்வேறு கலாச்சாரங்களின் நுணுக்கங்களை ஒருங்கிணைத்து வண்ணமயமாக அறிமுகப்படுத்துவதும் மொழி பெயர்ப்பு என்பதில் எவ்வித சந்தேகமுமில்லை.ஆங்கிலம் என்பது ஒரு ஜனரஞ்சகமான உரையாடலுக்கு ஏற்ற மொழி என்பதாலும், உணர்வுபூர்வமான மற்றும் ஆக்கபூர்வமான வெளிப்பாட்டிற்கு மிகவும் இயல்பான திறனைக் கொண்டிருப்பதாலும் எந்தவொரு இலக்கிய படைப்பையும் உலகமயமாக்கவோ அல்லது உள்ளூர்மயமாக்கவோ ஆங்கில மொழி பெயர்ப்பை தேர்வு செய்வது கட்டாயமாகிவிட்டது. பிரபஞ்சம் முழுவதும் முரண்பாடுகள் இல்லாமல் எங்கும் வியாபித்துள்ள ஒரே மொழி ஆங்கிலம் என்கிற காரணத்தினால் மொழி பெயர்ப்பாளர்களுக்கு அவர் தம் தேசிய மொழி சார்ந்த இலக்கியங்களை ஆங்கில மொழியில் வெளிப்படுத்துவது மிகவும் இயல்பானது.இந்தியாவிலுள்ள விளிம்பு நிலை சமூகத்தின் இலக்கியங்களை ஆங்கிலத்தில் மொழி பெரியர்த்ததன் பின்னணியில் தாழ்த்தப்பட்ட மற்றும் ஒடுக்கப்பட்ட பிரிவினரின் அடிமை வாழ்க்கை வரலாற்றை சர்வதேச அளவில் வெளிக்கொணர்வதே ஆகும். மொழி பெயர்ப்பாளரை பொறுத்தவரை இது ஒரு அரசியல் நடவடிக்கையாகவும் மாறிவிட்டது. பல்வேறு எதிர்ப்பின் வெளிப்பாடுகளுக்கு இடையே புரிந்துணர்வின் பாலங்களை உருவாக்கும் நோக்கத்துடன் இது செயல்பட்டது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அப்பிரிவினருக்கு இழைக்கப்பட்ட மனிதாபிமானமற்ற கொடுமைகளை வெளிப்படுத்தும்

பிராந்திய சிறுபான்மை இலக்கியங்களுக்கான மொழி பெயர்ப்பு சுதந்திரத்திற்கு பின்னரும் தொடர்கிறது. மொழி பெயர்ப்பாளர்கள் எதிர்கொள்ளும் பல பிரச்சனைகள் அவர்களுக்கு முன்னால் கடிமான பல சவால்களை முன் வைக்கின்றன. உரைநடை மொழி பெயர்ப்பாளர் எதிர்நோக்கும் முதல் சிக்கல் சில வார்த்தைகளின் அர்த்தத்திற்கு உசிதமான அதிக அளவில் விசுவாசத்தை வெளிப்படுத்தும் வகையில் சொற்களை அவரது சொந்த மொழியில் கண்டிபிடிப்பதே ஆகும். சில புரியாத சிலேடைகள், ஆத்மபூர்வமான உணர்வுகள், கலாச்சார நுணுக்கங்கள், நகைச்சுவை துணுக்குகள் மற்றும் ஒரு படைப்பின் பிற நுட்பமான கூற்றுகள் மொழி பெயர்ப்பு பணியில் சிக்கல்களை உருவாக்குகின்றன. அந்த வகையில் ஏற்படும் பிரச்சனைகள் பின்வருமாறு :

1) **மொழி பெயர்ப்பாளருக்கான பிரதிநிதித்துவத்தின் சிக்கல் :** விளிம்புநிலை வாழ் மக்களிடையே பரிமாறிக்கொள்ளப்படும் பேச்சு வழக்கு மற்றும் பேச்சு வாடையின் உரையை மொழி பெயர்ப்பதில் ஏற்படுகின்ற முக்கிய பிரச்சினை இதுதான் மொழிவல்லுநர் மற்றும் பேராசிரியருமான மாயா பண்டிட் குறிப்பிடுவது போல மொழி பெயர்ப்பாளர் சமுதாயத்தில் ஒடுக்கப்பட்டவர்களின் உரையை முழுமையாக புரிந்துகொள்வதற்கும், உரையில் உள்ள சில மறைந்த அல்லது செயலற்ற இருட்டடிப்புகளை வெளிக்கொணரும் முயற்சியின் போது இவ்வகையான சிக்கல் எழுகிறது. இது போன்ற நிதர்சனமான உண்மைகளை மொழி பெயர்ப்பின் மூலம் எவ்வாறு உயிர்ப்பிப்பது என்பது பிரச்சினை. ஆனால் மொழி பெயர்ப்பாளரும் அதே கலாச்சாரம், வர்க்கம், மொழி ஆகியவற்றை சார்ந்தவராக இருப்பின் குறிப்பிட்ட அளவின் புரிதலோடு இதற்க்கு தீர்வு காண முடியும்.

2) **பழமொழிகள் மற்றும் போது விதிகளின் மொழியாக்கம்** : மொழிபெயர்ப்பாளரின் முன் இரண்டாவது சவால், மூல மொழியில் உள்ள பழமொழிகள் மற்றும் உச்சரிப்புகளை இலகு மொழியில் மொழிபெயர்ப்பதாகும். சில பேச்சுவழக்குகள் அதற்குரிய சிறப்பு அம்சங்களைக் கொண்டிருக்கலாம். அவை நிலையான மொழியிலிருந்து வேறுபடலாம். ஒவ்வொரு பழமொழியும் மொழியியலின் பொருள் மற்றும் மொழியியல் அமைப்பு ஆகிய இரண்டையும் உள்ளடக்கியிருப்பதால் மொழிபெயர்ப்பாளர் வேறு மொழியாக்கத்தின் போது இவ்விரண்டையும் கூர்ந்து கவனிக்க வேண்டும்.

3) **மாறுபடுகின்ற கலாச்சாரங்கள்** : பல்வேறு கலாச்சாரங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடுகளின் காரணத்தினாலும் மொழி பெயர்ப்பில் மிக கடினமான சிக்கல்களை மொழி வல்லுநர்கள் சந்திக்க வேண்டியிருக்கிறது. அவரவர்கள் கண்ணோட்டத்திற்கேற்ப மக்கள் கலாச்சாரம் பற்றிய விஷயங்களைப் பார்க்கிறார்கள். அப்பார்வையில் பல சொற்கள் சமமானவை போலத் தோன்றினாலும் ஆழ்ந்து நோக்கும் பட்சத்தில் அர்த்தங்கள் மாறுகின்றன என்பதும் உண்மை. மேலும் சமூக உறவுகள், பழக்க வழக்கங்கள் அதைச் சார்ந்துள்ள மரபுகள் எந்த ஒரு கலாச்சாரத்திலும் அங்கம் வகிக்கிறது. ஆக மொழி பெயர்ப்பாளர் பல்வேறு கலாச்சார வழக்குக்குகள், அந்தப் பகுதியின் சூழல் ஆகியவற்றை நன்றாக ஆராய்ந்த பின்னரே தனது மொழியாக்கத்தை துவங்க முடியும்.

4) **பதிவேட்டு படைப்புகளின் மொழி பெயர்ப்பு** : சம்பந்தப்பட்ட்ட உள்ளூர் பகுதி மக்களால் பொதுவாகப் பேசப்படும் மொழியின் கவிதையை மொழி பெயர்ப்பதில் எத்தகைய தொய்வும் ஏற்படாது. குறிப்பிட்ட பகுதியின் சூழலுக்கேற்ப அந்த மொழியின் கற்பனை வளத்தோடு படைக்கப்படுகின்ற கவிதை, கட்டுரை, நாடகம் ஆகியவற்றை மொழி மாற்றம் செய்யும் தருவாயில் அது சில பல சிக்கல்களை ஏற்படுத்திவிடும். இதனால் அந்த

குறிப்பிட்ட மூல மொழியின் முழுமையான சுவையை உணர முடியாது.

5) **உள்நாட்டு மற்றும் வெளி நாட்டுமயமாக்குதல்** : எந்த இரு மொழிகளும் ஒரே நடையை கொண்டிருக்காது என்கிற பட்சத்தில் அந்தந்த கலாச்சாரத்திற்கு ஏற்ப மொழிகள் வேறுபடுவதற்கும் அதுவே ஒரு முக்கிய காரணமாக இருந்து வருகிறது. எனவே துல்லியமான மொழிபெயர்ப்பு என்று எதுவும் இருக்க முடியாது. இதன் பலனாக சில நூல்கள் உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டுமயமாக்குவதற்கும் ஆட்படுத்தப்படுகின்றன. பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் மொழி பெயர்ப்பிற்கு சாத்தியமாக பொருந்தக்கூடிய உத்திகள் இரண்டு மட்டுமே என்கிற வாதம் ஏற்பட்டது. ஒன்று மொழிபெயர்ப்பாளர் தன்னுடைய மொழிபெயர்ப்பின் மூலம் ஆசிரியரின் மூல உரையில் தன்னால் முடிந்தவரை மாற்றத்தை கொணராமல் வாசகரை அவருடைய உரையை நோக்கி நகர்த்த முயற்சிக்கிறார் அல்லது வாசகரை நோக்கி மூல ஆசிரியரின் உரையை நகர்த்துகிறார்.தற்கால மொழிபெயர்ப்பாளர்கள் இந்த நுணுக்கங்களை கவனமாக கையாளுவது மிக அவசியமாகிறது.

6) **சொல்லணிகள் மற்றும் அலங்கார வழக்குகளின் மொழி பெயர்ப்பு** : மேலே கூறியது போல மொழிகளும் அவற்றின் கலாச்சார பின்னணிகளும் மாறுபடுகின்றன. இலக்கிய மற்றும் கலாச்சார உரை கொண்ட நூல்கள் குறிப்பிட்ட சில சொற்களுக்கு அர்த்தங்களை வேற்று மொழிகளில் பரிந்துரைக்கப்படும் போது அவை முற்றிலுமாக வேறுபடுகின்றன. சில வார்த்தைகளுக்கான சில அர்த்தங்கள் வெவ்வேறு மொழிகளில் மாறுவதே இதற்க்கு முக்கிய காரணம். உதாரணமாக டிராகன் எனும் சொல் சீனக் கலாச்சாரத்தில் வீரத்திற்கும் வலிமைக்குமான ஒரு அடையாளமாகும் . ஆனால் ஆங்கில கலாச்சாரத்தைப் பொறுத்தவரை இதே சொல் தீய சகுனமாக கருதப்படுகிறது. இதே போன்று ஆந்தை என்பது ஆங்கிலேயர்களுக்கு ஒரு ஞானத்தின் சின்னம் மாறாக பாரசீகம் மற்றும் இந்திய கலாச்சாரத்தில் துரதிர்ஷ்டத்தை குறிக்கிறது.

7) **கவிதைகளின் மொழிபெயர்ப்பு** : இந்த ஆய்வில் இதுவே இறுதியான ஆனால் ஒரு தலையான பிரச்சினை. ஒரு கவிதையை ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்ப்பதில் பல சிக்கல்கள் எழுகின்றன. கவிதைகளின் மொழிபெயர்ப்பை விட உரைநடை மொழிபெயர்ப்பு மிக எளிதானது என்பது பொதுவான அனுமானம். ஏனெனில் கவிதையின் மொழி பெயர்ப்பில் எழுத்து, வார்த்தை வடிவம் மற்றும் சந்த வரிசை ஆகியவற்றை பொருத்துவது மிகக் கடினம். எனவே ஒரு மொழிபெயர்ப்பாளர் மேற்கூறியவற்றின் வரிசைகளையோ அல்லது சில சொற்களின் ஒலிகளை மாற்றி அமைக்கும் பட்சத்தில் இக்கவிதையின் அழகு முழுமையாக சிதைந்துவிடும். மேலும் மொழிபெயர்ப்பாளர் இத்துணை அம்சங்களையும் தன்னுடைய இலக்கு மொழியில் மூல மொழியின் தன்மைகளை தக்க வைக்கத் தவறினால் அந்த மொழிபெயர்ப்பு அசலான அல்லது மூல மொழியின் அழகான வடிவமைப்பை அளிக்காது.

முடிவுரை : மொழிபெயர்ப்பாளர்களின் முன்னிருக்கும் மேற்கூறிய கடினமான சவால்களுக்கு தீர்வு காணாமல் எந்த ஒரு மொழியாக்கமோ அல்லது மொழிபெயர்ப்போ ஒரு மொழியின் அழகியல் இன்பத்தை அளிக்க முடியாது என்பது உறுதி. இதற்க்கான நம்பகத்தன்மையை உருவாக்குவதே மொழிப்பெயர்ப்பாளர்களின் இன்றியமையாக் கடமையாகும்.

- ஓய்வு பெற்ற மூத்த மேலாளர் (அதிகாரப்பூர்வ மொழி)
பஞ்சாப் & சிந்து வங்கி

अनुवाद की समस्याएं और चुनौतियां

(मूल तमिल लेख का हिंदी अनुवाद)

पी षण्मुखम

यह कहा जा सकता है कि भाषा अनुवाद, एक सीमा पार करने या एक बोतल से दूसरी बोतल में इत्र ले जाने से ज़्यादा कुछ नहीं है। कई विद्वानों ने अनुवाद शब्द को अपने-अपने तरीके से परिभाषित किया है लेकिन मोटे तौर पर कहें तो अनुवाद स्रोत भाषा से एक सामग्री को लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया है। यह एक ही शरीर के कपड़े बदलने जैसा है। साहित्य की हर विधा के अनुवाद में कुछ समस्याएं और चुनौतियां होती हैं। अनुवाद ने भारत के इतिहास को समेटने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वतंत्र भारत के पहले और बाद में अनुवाद का साधन ऐसे साबित हुआ है जिसने विविध भारतीय संस्कृतियों को एक साथ जोड़ा है। भारत जैसे देश के लिए राष्ट्रीय पहचान से निपटना एक बहुत ही नाजुक और चुनौतीपूर्ण मामला है जो सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और भाषाई विविधता की कई परतों से अपने को मजबूत करती है।

अनुवादकों ने हमेशा ज्ञान और सूचना का विस्तार करते हुए सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अनुवाद व्यापक रूप से फैली हुई विभिन्न संस्कृतियों का परिचय देते हुए उन्हें आपस में जोड़ता है जो एक-दूसरे से अलग-अलग हैं। यह एकमात्र ऐसा माध्यम है जहाँ बहु-संस्कृतिवाद अपनी सभी बारीकियों के साथ घटित होता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अनुवादकों के पास संस्कृतियों और भाषाओं के बीच संयोजक के रूप में कार्य करने की क्षमता है।

भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन से यह जान पड़ता है कि अंग्रेज़ी भाषा में भावनात्मक और रचनात्मक अभिव्यक्ति बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है इसलिए किसी भी साहित्यिक कार्य को वैश्विक या प्रादेशिक बनाने के लिए अंग्रेज़ी अनुवाद का चयन करना अनिवार्य हो गया है। चूंकि अंग्रेज़ी एकमात्र ऐसी भाषा है जो विरोधाभासों से भरी है और पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है इसलिए अनुवादकों के लिए राष्ट्रीय साहित्य में अनुवाद करना बहुत स्वाभाविक है। दलित साहित्य का अंग्रेजी में अनुवाद करने का उद्देश्य हाशिये पर पड़े लोगों की जीवन गाथाओं को अंतरराष्ट्रीय मंच पर लाना है जो निम्न वर्ग के समान ही उत्पीड़ित तबकों द्वारा गुलाम बनाए गए हैं। अनुवादक के लिए यह एक राजनीतिक कार्य भी बन गया है। उल्लेखनीय है कि प्रतिरोध की विभिन्न अभिव्यक्तियों के बीच समझ के पुल बनाने के उद्देश्य से ऐसा किया गया था। उनकी अमानवीय पीड़ा को उजागर करने वाले क्षेत्रीय दलित साहित्य का अनुवाद स्वतंत्रता के बाद भी जारी रहा है। अनुवादकों के सामने आने वाली कई समस्याएं उनके सामने कठिन चुनौतियां पेश करती हैं। गद्य अनुवादक के सामने आने वाली पहली समस्या अपनी भाषा में ऐसे शब्द ढूंढ़ना है जो कुछ शब्दों के अर्थ के प्रति उच्चतम संभव निष्ठा व्यक्त करते हों। कुछ अस्पष्ट वाक्य विन्यास, भावनाएं, सांस्कृतिक बारीकियां, हास्य और किसी कार्य के अन्य सूक्ष्म तत्व अनुवाद प्रक्रिया में समस्याएं पैदा करते हैं। कुछ सबसे भ्रामक और परेशान करने वाली समस्याएं इस प्रकार हैं :

1) **अनुवादक के लिए प्रतिनिधित्व की समस्या :** यह उत्पीड़ित लोगों के बीच आदान-प्रदान की जाने वाली बोलचाल की भाषा के पाठ का अनुवाद करने में आने वाली मुख्य समस्याओं में से एक है। जैसा कि प्रोफेसर माया पंडित बताती हैं, ऐसी समस्या तब उत्पन्न होती है जब अनुवादक उत्पीड़ित लोगों के पाठ को पूरी तरह से समझने और पाठ में छिपे या निष्क्रिय अस्पष्टता को मिटाने के लिए उसमें गहराई से उतरने की कोशिश करता है। अनुवाद के माध्यम से इन सुप्त सत्यों को कैसे जीवंत किया जाए, यह अनुवादक की समस्या है लेकिन अगर अनुवादक को उसी संस्कृति, वर्ग और भाषा से ताल-मेल है तो एक निश्चित मात्रा में समझ और प्रयासों से इस समस्या को बहुत अच्छी तरह से हल किया जा सकता है।

2) **कहावतों और उनका अनुवाद :** अनुवादक के लिए दूसरी चुनौती स्रोत भाषा की कहावतों और कथनों का लक्ष्य भाषा में अनुवाद करना है। कभी-कभी बोली की अपनी विशिष्ट विशेषताएं हो सकती हैं जो मानक भाषा से काफ़ी अलग हो सकती हैं। चूंकि

प्रत्येक कहावत में भाषाई अर्थ और भाषाई संरचना दोनों ही होती हैं इसलिए अनुवादक को स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में अनुवाद करते समय दोनों को ध्यान में रखना चाहिए।

3) **विभिन्न संस्कृतियों की समस्या :** अनुवाद में सबसे कठिन समस्याओं में से एक और संस्कृतियों के बीच होने वाली अंतर है। किसी विशेष संस्कृति के लोग हर चीजों को अपने दृष्टिकोण से देखते हैं। कई शब्द एक जैसे समान लगने पर भी वास्तव में समान नहीं हैं। इसलिए अनुवादकों को भिन्न-भिन्न संस्कृतियों की संस्कारों के बारे में ज्ञात होना अनिवार्य है क्योंकि सामाजिक संबंध, रीति-रिवाज और परम्पराएं तो संस्कृति के ही अंग हैं।

4) **रजिस्टर में कार्यों के अनुवाद की समस्या :** संबंधित स्थानीय आबादी द्वारा बोली जाने वाली किसी विशेष प्रमुख भाषा में कविता का अनुवाद करने में कोई नुकसान नहीं है। मगर किसी एक काल्पनिक या नाटकीय रचनाएं विशेष रूप से किसी विशेष भाषा के कुछ संदर्भ के तहत लिखी गई कविताएं अनुवादक के लिए समस्याएं खड़ी करती हैं। रजिस्टर स्थिति की विविधता के अनुरूप भाषा की विविधता है। चूंकि भाषा की बोलचाल की भाषा, स्थान विशेष में अलग-अलग होती है इसलिए कुछ इलाकों में सामान्य से अधिक शब्द और अभिव्यक्तियां होती हैं। अर्थात विशिष्ट समस्याओं का पंजीकरण करना उतना आसान नहीं है।

5) **घरेलूकरण और विदेशीकरण :** किसी भी दो भाषाओं की शैली एक जैसी नहीं होती, यही एक प्रमुख कारण है कि भाषाएं अपनी-अपनी संस्कृतियों के अनुसार भिन्न होती हैं। इसलिए, सटीक अनुवाद जैसी कोई चीज़ नहीं होती। परिणामस्वरूप, कुछ पाठ घरेलूकरण और विदेशीकरण, दोनों के अधीन होते हैं। उन्नीसवीं शताब्दी में यह तर्क दिया गया था कि अनुवाद के लिए केवल दो ही संभावित रणनीतियां हैं; अनुवादक, लेखक को यथासंभव सहजता से छोड़ता है और पाठक को उसकी ओर ले जाता है; या अनुवादक, पाठक को यथासंभव सहजता से छोड़ता है और लेखक को उसकी ओर ले जाता है। आधुनिक अनुवादकों के लिए इन बारीकियों को सावधानीपूर्वक संभालना बहुत ज़रूरी है।

6) **भाषण के अलंकारों के अनुवाद में समस्याएं :** जैसा कि ऊपर बताया गया है, भाषाएं और उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि अलग-अलग होती हैं। जब साहित्यिक और सांस्कृतिक ग्रंथों का अन्य भाषाओं में अनुवाद किया जाता है तो कुछ शब्द के अर्थ पूरी तरह बदल जाते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि एक ही शब्द के अर्थ अलग-अलग भाषाओं में बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए ड्रैगन चीनी संस्कृति में वीरता और ताकत का प्रतीक है जबकि अंग्रेजी संस्कृति में इसे अपशकुन माना जाता है। इसी तरह उल्लू ब्रिटिश दुनिया में ज्ञान का प्रतीक है लेकिन यह फारसी और भारतीय संस्कृति में दुर्भाग्य को इंगित करता है।

7) **कविता के अनुवाद में समस्याएं :** यह इस लेख में अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण समस्या है। कविता का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय कई समस्याएं आती हैं। यह एक आम धारणा है कि गद्य का अनुवाद कविता के अनुवाद से कहीं ज़्यादा आसान है क्योंकि संरचना, शब्द-क्रम और लय को समझना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए अगर अनुवादक शब्द चयन, शब्द-क्रम और ध्वनियों को नष्ट कर देता है तो वह मूल कविता की सुंदरता को बिगाड़ता और विकृत करता है। कविता में सौंदर्य मूल्य कविता की संरचना, रूपक और ध्वनि में निहित है और अगर अनुवादक इन सभी पहलुओं को लक्ष्य भाषा में बनाए रखने में विफल रहता है तो उसका अनुवाद मूल भाषा का सौंदर्यानुभूति को नहीं ला पाएगा।

निष्कर्षतः अनुवादक के सामने कठिन चुनौती पेश करने वाली उपयुक्त समस्याओं का समाधान किए बिना हम यह नहीं कह सकते कि अनुवादित सामग्री मूल कार्य की तरह पूर्ण संतुष्टि और सौंदर्यानुभूति प्रदान करती है। एक कुशल अनुवादक इन समस्याओं से सावधानीपूर्वक निपटता है और अपने अनुवाद में प्रामाणिकता लाने के लिए हमेशा सूक्ष्म तत्वों और विवरणों का ध्यान रखता है।

-सेवानिवृत्त वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा)
पंजाब एण्ड सिंध बैंक

राजभाषा उपलब्धियां

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक व बीमा कंपनी) तिरुवनंतपुरम द्वारा आयोजित राजभाषा शील्ड योजना 2024-25 के अंतर्गत शाखा श्रेणी में बैंक की शाखा तिरुवनंतपुरम को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। दिनांक 22.07.2025 को आयोजित नराकास की छमाही बैठक में नराकास अध्यक्ष सुनिल कुमार एस. के कर कमलों से वरिष्ठ प्रबंधक श्री बाइजु बी एन तथा वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा) सुश्री मनीषा खटीक ने यह पुरस्कार ग्रहण किया।

वर्ष 2024-25 के दौरान उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन के लिए बैंक की शाखा पलवल को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक व बीमा कंपनियाँ एवं सरकारी संस्थान), पलवल द्वारा प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किया गया। गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि एवं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री कुमार पाल शर्मा, उप निदेशक (कार्यान्वयन) के कर कमलों से यह पुरस्कार शाखा प्रभारी श्री रमेश चन्द और राजभाषा अधिकारी श्री अनिल शुक्ला ने प्राप्त किया।

भावी बैंकिंग की चुनौतियां

वैभव मिश्र

भावी बैंकिंग के परिप्रेक्ष्य में समय और परिस्थितियों के अंतर्गत सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था संबंधी नए लक्ष्यों को निर्धारित कर उनकी प्राप्ति के लिए मोटे तौर पर क्या-क्या चुनौतियां हो सकती हैं उन सभी को संज्ञान में अवश्य रखा जाना चाहिए। भारत वित्तीय वर्ष 2027-28 तक लगभग पाँच ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की योजना बना रहा है लेकिन इस दिशा में सरकार के सामने कई चुनौतियां हैं। अगर इन चुनौतियों की बात की जाए तो सरकार के सामने पहली चुनौती अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना है जिसने गत बीते वर्षों में महामारी के दौरान आपूर्ति में बाधा, मांग में कमी, शारीरिक स्वास्थ्य संकट, अद्वितीय सामूहिक प्रवासन और शत्रुतापूर्ण वैश्विक वातावरण का अनुभव किया।

दूसरी चुनौती आधारभूत ढांचे के विकास को संदर्भित करती है जबकि बुनियादी ढांचे में भारत का प्रति व्यक्ति निवेश दुनिया में सबसे कम स्तर पर है। इसलिए पारदर्शी और तेज नियामक प्रक्रियाओं स्पष्ट, पारदर्शी और कुशल भूमि अधिग्रहण, तेज जलवायु मंजूरी नीतियां और व्यवहार्य बुनियादी ढांचा वित्त की आवश्यकता है। तीसरी चुनौती युवा और बढ़ती श्रम शक्ति के कौशल विकास के संबंध में है क्योंकि गुणवत्ता और मात्रा दोनों के मामले में सकल घरेलू उत्पाद में इनका योगदान विकसित और साथ ही कई उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में बहुत ही कम है।

इसके साथ ही कौशल विकास का कार्य तब और महत्वपूर्ण हो जाता है जब असंगठित क्षेत्र में लगभग 85 प्रतिशत कार्यबल कार्यरत हैं और इस कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी न के बराबर है। इसके अतिरिक्त एक और चुनौती हरित और स्वच्छ भारत को भी बनाए रखना है। इस उद्देश्य के लिए अक्षय ऊर्जा उत्पादन और वास्तविक बिजली खपत के समय के बीच के अंतर को कम करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा भंडारण सुविधाओं की आवश्यकता है। इसके अलावा, देश को नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रीय संकेन्द्रण और डिस्कोम के पुराने ऋणों की समस्या को दूर करने के अलावा, पारेषण और वितरण हानियों को कम करना है। बैंकिंग उद्योग के संबंध में कई चुनौतियां हैं जिनका विस्तार से वर्णन इस प्रकार है:

रोजगार की संभावना : मौजूदा समय में ग्रामीण आबादी धीरे-धीरे शहरी क्षेत्रों में पलायन कर रही है जिससे सार्वजनिक बुनियादी ढांचे,

मकान, शिक्षा आदि की अधिक मांग पैदा हो रही है। तदनुसार, बैंकों को सरकार, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, व्यक्तिगत ग्राहकों और विकासशील एजेंसियों की ऋण और मूलभूत आवश्यकताओं के संबंध में मंथन करना होगा। उसी तरह वर्तमान सरकार का 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण की हिस्सेदारी में वृद्धि करेगा और बैंक ऋण के लिए अधिक मांग पैदा करेगा। बढ़ते वैश्विक एकीकरण का भविष्य के विदेशी व्यापार और बैंकों के विदेशी मुद्रा व्यवसाय पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। महामारी के दौरान बैंक ऋण देने में हिचकिचा रहे थे और इसलिए बैंक प्रबंधन के लिए यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा कि वह शाखा प्रबंधकों को पेशेवर दृष्टिकोण अपनाकर अधिकाधिक ऋण देने के लिए प्रेरित करें और क्रेडिट में उचित सावधानी का पालन करवाए।

तनावग्रस्त आस्तियों का निवारण : भविष्य में बैंकों को अपनी आस्ति के सर्वोत्तम मूल्य को तुरंत प्राप्त करने के लिए आईबीसी के अंतर्गत दिवालिया कार्रवाई हेतु स्वयं ही जाना होगा। आईबीसी नियमों के अनुपालन में तनावग्रस्त संपत्तियों के समाधान के लिए बैंकों में अच्छी तरह से प्रशिक्षित क्रेडिट कर्मचारियों और अधिकारियों को तैनात करना होगा। बैंकों के समक्ष सबसे महत्वपूर्ण कार्य तनावग्रस्त आस्तियों का हरसंभव निवारण तथा बैंको को प्रारंभिक चरण में उधारकर्ता के खाते में तनाव की निगरानी करनी होगा।

उत्तम ग्राहक सेवा : बैंकों को अपनी सेवा योजनाओं पर नए सिरे से काम करना होगा, ग्राहकों के लिए नई सेवा योजना के अंतर्गत नए उत्पाद तैयार करने होंगे और ग्राहक-केंद्रित वित्तीय सेवाओं की डिलीवरी की दक्षता में सुधार करना होगा। ये चुनौतियां विविध व्यवहार प्रतिमानों के रूप में हैं जो विभिन्न आयु समूहों के ग्राहकों के पास हैं। वर्तमान में कामकाजी उम्र (16-65 वर्ष) के लोग बहुसंख्यक हैं, साथ ही जीवन प्रत्याशा भी सत्तर वर्ष हो गई है। इसलिए बैंकों को ग्राहकों के बदलते जीवन प्रोफाइल के अनुकूल वर्तमान उत्पाद मिश्रण पर फिर से काम करने की आवश्यकता होगी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि बदलते परिदृश्य में बैंकों को यह सीखना होगा कि ग्राहकों के ऐसे समूह को कैसे आकर्षित किया जाए जो अधिक शिक्षित, बेहतर जानकार और अच्छी तरह से नेटवर्क से जुड़े हों, जिनके लिए भौतिक और आभासी दुनिया में विभिन्न प्रकार के मीडिया उत्पादों को बेचने पर विचार किया जाएगा। इस संदर्भ में

बैंकों को न केवल अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के कौशल प्रशिक्षण पर ध्यान देना होगा, बल्कि उन्हें कुशल बनाए रखने पर भी ध्यान देना होगा। इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार के नए ग्राहकों की खोज करना और उन्हें बदलते परिदृश्य में बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र : तीव्र इंटरनेट संचार और कनेक्टिविटी के माध्यम से देश में इंटरनेट की पहुंच बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। गत एक वर्ष में इंटरनेट की पहुंच में तीव्र वृद्धि देखी गई है। हालांकि इस दिशा विकसित देशों से भारत की तुलना को देखते हुए इंटरनेट की पहुंच भारत में अभी भी काफी कम है जिससे बैंकों के लिए इंटरनेट बैंकिंग को और बढ़ावा देने के अवसरों को बढ़ावा देने का अवसर पैदा होता है। साथ ही, प्रौद्योगिकी सक्षम वित्तीय नवाचारों का प्रबंधन और साइबर सुरक्षा जोखिमों से निपटने के लिए रणनीतिक नीति प्रतिक्रियाएं आवश्यक होंगी। यह बैंकों के सामने एक प्रमुख चुनौती प्रतीत होती है।

इसके अलावा, भारत में बैंकों ने वेब आधारित और मोबाइल-आधारित वितरण समाधानों में भारी निवेश किया है। इनमें से प्रत्येक चैनल एक अलग विक्रेता द्वारा समर्थित है और प्रत्येक एक अलग तकनीक का उपयोग करता है जो जटिलता को बढ़ाता है और इसमें लागत शामिल होती है। इसलिए यह प्रौद्योगिकी में किए गए निवेश पर उच्च प्रतिफल प्राप्त करने के लिए एक योजनाबद्ध दृष्टिकोण की मांग करता है।

जोखिम प्रबंधन : बैंकों को उचित जोखिम प्रबंधन ढांचे की आवश्यकता है। हालांकि यह समझा जाता है कि जोखिम प्रबंधन को अनुपालन बाध्यताओं के तहत अधिक अपनाया गया है और बैंकों की व्यावसायिक प्रक्रियाओं में उतना तालमेल नहीं बिठाया गया है जितना होना चाहिए था। जैसे-जैसे वित्तीय दुनिया की जटिलता बढ़ती है, उन्हें अपने पूंजी स्तर का विधिवत मूल्यांकन करने और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन करने के बाद सावधानी से विचार करने और अपनी जोखिम क्षमता निर्धारित करने की आवश्यकता होगी।

वित्तीय समावेशन : वित्तीय समावेशन के तहत देश के प्रति परिवार को बैंक खाते से जोड़ने पर जोर देने वाली वर्तमान सरकार की प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) योजना की शुरूआत को सकारात्मक और बढ़ती प्रतिक्रिया मिली है लेकिन योजना के तहत वित्तपोषित ऋण डिफॉल्ट मामलों की बढ़ती संख्या को कम करने के लिए बैंकों को बहुत संघर्ष करना होगा। इस प्रयोजन के लिए बैंकों को अपने ऋण वसूली तंत्र को मजबूत करना होगा। प्रौद्योगिकी पर अधिक निर्भर रहना होगा, बार-बार दौरा करने की व्यवस्था करनी होगी और जहां भी जरूरत हो ऋण वसूली को आउटसोर्स करना होगा।

बैंकों का संविलय : पीएसबी में सरकार की स्वामित्व हिस्सेदारी कम करने से हितों का टकराव कम होगा और बैंकों पर उधार देने का दबाव कम होगा। इसी तरह सरकार पूंजी प्रवाह को कम करने, लागत में कटौती, प्रतिभा को केंद्रीकृत करने, सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने और नियामक निरीक्षण को आसान बनाने के लिए कुछ और कमजोर पीएसबी को मजबूत के साथ संविलय करना जारी रखेगी।

इसके साथ बैंकों के सामने प्रमुख कार्य मजबूत और समाज के अनुकूल रहना है और इस संबंध में निम्नलिखित प्रश्न उत्पन्न होते हैं:

- क्या बैंक आने वाले समय के लिए खुदरा ऋण देने पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेंगे या अपनी सहायक कंपनी स्थापित करेंगे?
- जब बैंक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक के स्तर पर कार्य करना चाहेंगे तो क्या विवेकपूर्ण नियम मौजूद होंगे?
- हाल के दिनों में कॉरपोरेट ऋण पुनर्गठन की सीमित सफलता से सबक लेते हुए क्या बैंक इन मेगा परियोजनाओं की तकनीकी-वाणिज्यिक व्यवहार्यता पर कड़ी नजर रखेंगे और ऋण पुनर्गठन प्रस्तावों पर समय पर निर्णय सुनिश्चित करेंगे या शीघ्र कानूनी कार्रवाई करेंगे ?
- क्या बैंक पारदर्शिता और उत्तरदायित्व, लेखांकन और लेखा परीक्षा, उच्च गुणवत्ता अनुपालन और जोखिम प्रबंधन से संबंधित वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं का अनुपालन करेंगे?

बैंकों के लिए भारत को शीघ्र ही पाँच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की प्रक्रिया में सहायता करने के लिए उनके सामने कई चुनौतियां है। ये वैश्विक प्रथाओं के समान जोखिम प्रबंधन, तनावग्रस्त आस्तियों के प्रबंधन, बेसल III के संदर्भ में पूंजी आधार को विस्तृत करने, पूर्व महामारी स्तर की तुलना में बहुत अधिक ऋण प्रवाह को बढ़ाने, उच्च तकनीक के वित्तपोषण में उन्नत कौशल विकसित करने से संबंधित हैं। बढ़ी हुई गुणवत्ता और बैंकों द्वारा रखी गई पूंजी और तरलता के उच्च स्तर ने उन्हें कोविड-19 महामारी के प्रभाव को अवशोषित करने में मदद की है।

भविष्य के दृष्टिकोण की तर्ज पर बैंकों को अपनी व्यावसायिक रणनीतियों पर फिर से काम करना और पुनर्गठित करना होगा, ग्राहकों की जरूरतों के अनुरूप उत्पादों पर नवाचार करना होगा और ग्राहक केंद्रित वित्तीय सेवाओं के वितरण में उनकी समग्र दक्षता में सुधार करना होगा। इसी तरह व्यापार के बढ़ते अवसरों को देखते हुए बैंकों के लिए यह और भी महत्वपूर्ण है कि वे देश में रोजगार सृजन के लिए ऋण प्रवाह को बढ़ाएं और निवेश चक्र को पुनर्जीवित करें। साथ ही प्रौद्योगिकी, बैंकिंग क्षेत्र में व्यापार विकास और नवाचार के लिए कई अवसर प्रदान करती है लेकिन इसमें नई चुनौतियां और जोखिम भी शामिल हैं। समस्त चुनौतियों से निपटने के लिए बेहतर नीतियों के अंतर्गत कार्यान्वयन महत्वपूर्ण है।

-राजभाषा अधिकारी
आंचलिक कार्यालय लखनऊ

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का गुवाहाटी दौरा

25 जुलाई, 2025 को बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री स्वरूप कुमार साहा के कर कमलों से बैंक के आंचलिक कार्यालय गुवाहाटी के नए परिसर का उद्घाटन किया गया। अपने गुवाहाटी प्रवास के दौरान प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने बैंक कारोबार में संवृद्धि के लिए अंचल के शाखा प्रभारियों के साथ विशेष विचार-विमर्श भी किया।

ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿਟੀ ਧੁੰਧੁ ਜਗਿ ਚਾਨਣੁ ਹੋਆ ।
ਜਿਉ ਕਰਿ ਸੂਰਜੁ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰੁ ਪਲੋਆ ।

श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की

हार्दिक शुभकामनाएं

कीरत करो । नाम जपो । वंड छको

ੴ

इस शुभ अवसर पर हमारे आकर्षक ऑफर्स से अपने जीवन को प्रकाशमय करें।

*नियम व शर्तें लागू.

पीएसबी
ई-अपना घर
मिनटों में ऋण, जीवन भर के लिए घर

सुविधा का लाभ प्राप्त करने के लिए यहाँ स्केन करें।

पीएसबी
ई-अपना वाहन
गति और सुविधा का मेल

सुविधा का लाभ प्राप्त करने के लिए यहाँ स्केन करें।

अधिक जानकारी के लिए हमारी निकटतम शाखा से संपर्क करें
हमारी वेबसाइट https://punjabandsind.bank.in का अवलोकन करें।

ੴ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹਿ

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)

Punjab & Sind Bank
(A Govt. of India Undertaking)

जहाँ सेवा ही जीवन–ध्येय है ।

वेबसाइट : https://punjabandsind.bank.in | ईमेल : ho.customerexcellence@psb.bank.in

1800 419 8300 (टोल फ्री) | हमें फॉलो करें @PSBIndOfficial